

संलग्नक - 5/1 लगायत 5/67

प्रस्तुत प्रकरण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा-18 से संबंधित है। अतएव मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 142/एडमिन (सेवायें)/2019 दिनांकित 16 मार्च 2019 के आलोक में प्रकरण सम्बन्धित न्यायालय/जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर को वापरा प्रेषित किया जावे। पक्षकार सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक 25.07.2019 को उपस्थित होवे।

(पीठासीन अधिकारी)
भू० अ० पुनर्व० एवं पुनर्व० प्राधिकरण,
कानपुर नगर।

16-8-19

उपर्युक्त प्रकल्पों मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित
द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 142/एडमिन (सेवायें) दिनांकित
16 मार्च 2019 के उच्चारण द्वारा पुनर्व० एवं पुनर्व० प्राधिकरण
कानपुर नगर से लालसा प्राप्त की गई दिनांकित दिनांक 19-7-19 को प्रवाली
वालों द्वारा / निर्दलाया द्वारा 19-7-19 को प्रवाली

स्पेशल डिप्टी सेस्ट.

19/09/19 - मुकाम प्रकार अधिकृत है।
निर्णीत चर्चा का स्थान छायाचित
प्राप्ति द्वारा दिनांक 27/09/19 को प्राप्त हो।
इसके अवार्द्ध अवधि अवधि अवधि

19/09/19

27/09/2019 - मुकाम प्रकार अधिकृत है।
निर्णीत चर्चा द्वारा दिनांक 01/10/2019 को
प्राप्त अवधि द्वारा दिनांक 01/10/2019 को
अधिकृत हो। अधिकृत हो। अधिकृत हो।
प्राप्त अवधि द्वारा दिनांक 01/10/2019 को
वालों द्वारा दिनांक 25/09/2019
वालों द्वारा दिनांक 25/09/2019
वालों द्वारा दिनांक 25/09/2019

राज्यपाल
कानपुर

मेरी निपत्ति स्थल का स्थान पुष्टि दिवस
19 एवं इसी दिन करके निवृद्धि किया
हो कि उक्तीयन लगा करने हेतु
साप देने की कृपा की जाए
जिसीले के बिंदान आधी रक्त
मेरे अद्यत्ता अभियन्ता भी दिनश
कुमार को रेलवे करने की प्राप्ति
किया है। म्यामिन मेरी निपत्ति
करपी को सुखगन पुष्टिरापत 19 एवं
स्वीकृत वाले अग्रिम आदृश
दिनों के 01/10/2019 की प्रका हो।
निपत्ति तीव्री के पूर्व उक्तीयन
अवश्य लगा किया जाए।

27/09/2019

कालंका 5/2

इजरा संख्या ५/2016

01.10.2019:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी ने आवेदन 20ख प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिकी धनराशि का भुगतान करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय, जिसका विरोध करते हुये डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन 21ख के माध्यम से कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को अपील खारिज हुयी है इजरा सन 2016 से लम्बित है। निर्णीत ऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद योजना संख्या 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को न्यायालय में तलब करके उनसे डिकी धन जमा करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह इजरा सन 2016 से लम्बित है तथा निर्णीत ऋणी की अपील माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.10.2018 को निरस्त की जा चुकी है तथा निर्णीत ऋणी द्वारा अनेक स्थगन आवेदन दिये जा चुके हैं परन्तु डिकी धनराशि जमा करने की कोई तिथि दर्शित नहीं की जा रही है। न्यायहित में डिकीदार एवं निर्णीत ऋणी के आवेदन 20ख एवं 21ख स्वीकार किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद योजना संख्या-17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी हो।

*Ref. No. 5/2019
Avvavos.*

पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 10.10.2019 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश एस०स०१०/एस०टी०१०, एकट,

10/10/19

कानपुरनगर।
 प्रेराण्डा अधिकारी द्वारा प्रियम्
 श्री अग्रीदासी १०४५ प्रठनी एकल
 दीगड़ी वास्ते सा/१२०४५ दिनांक
11/10/19 श्रीकृष्ण

अग्रीदासी अवृत्ति अवृत्ति अवृत्ति

11/10/2019 - गुरुवार पक्षकार उपस्थित हो।
 उभयपक्ष का आवेदन २२ख पर
 मुना अदावा हेतु दिनांक 12/10/2019
 का अस्ति ॥

11/10/2019

17/10/2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-3/2016

(मूल सन्दर्भ वाद संख्या-135/70 सन 1998)

सोमेश्वर

बनाम

उ०प्र०राज्य आदि

दिनांक 17.10.2019:-

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवेदन 22ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि प्रार्थी निर्णीतऋणी संख्या-2 को मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त में पारित निर्णय के अनुपालन में विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी आवास कानपुर नगर भुगतान की गयी धनराशि के समायोजनोपरान्त अवशेष डिकीटल धनराशि सम्पूर्ण का भुगतान करना है तदक्रम में प्रार्थी निर्णीतऋणी संख्या-2 अधिशाषी अभियन्ता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानुपर नगर द्वारा गणना करके भुगतान स्वीकृति हेतु पत्र परिषद नियमानुसार उच्च अधिकारी सरकिल वृत्त कार्यालय को भेजा गया है जिस पर वृत्त कार्यालय द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि मूल वाद उपरोक्त में पारित निर्णय के अन्श माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी०-13353/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.1998 को बहाल रखा गया है, के अनुसार इजरा वाद हाजा में प्रश्नगत मूल वाद के निर्णय को पारित करने के साथ ही उसके विपरीत निर्णीत प्रतिकर 72 रूपये प्रति वर्गज व उसका 30 प्रतिशत सोलेशियम के साथ 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि को प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक के स्थान पर जो वर्ष 1980 से दिया जाना निर्णीह था, के विपरीत प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक वर्ष 1973 से दिलाये जाने के साथ उक्त विजय बहादुर सिंह के निर्णय के विपरीत 30 प्रतिशत सोलेशियम व 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि दोनों मदों की धनराशि पर ब्याज दिये जाने के आदेश दिये जाने का निर्णयादेश पारित किया गया तथा जिसके कारण ही उक्त मूल सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गयी थी तथा उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी०-13553/2015 में पारित आदेश दिनांकित 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर बनाम उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय बरकरार रखा गया है, के विपरीत निर्णय को निरस्त करने की अभ्यर्थना की गयी, जिसकी बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील को निरस्त करने पर कोई अवधारणा व विनिश्चय स्पष्ट नहीं होने की चूक हुयी जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के

निरस्त करने में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त एस0एल0पी0-13553/2015 में पार्ख आदेश दिनांक 06.11.2015 के आधार को उचित मान करके निस्तारण किया गया जिसके कारण परिषद के वृत्त कार्यालय से परीक्षणोपरान्त मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल करने का निर्णय लिया गया जिस क्रम में परिषद मुख्यालय द्वारा रिव्यू दाखिल करने की स्वीकृति के साथ अधिवक्ता को नियोजित किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल किया जाना है जो दिनांक 13.10.2019 तक अवकाश होने के कारण दाखिल नहीं हो सकेगा तथा जिसको दाखिल कराकर माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु एक माह का समय दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी निर्णीत ऋणी संख्या-2 को मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 13.12.2018 दाखिल करके माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

उक्त आवेदन पर डिकीदार की ओर से लिखित आपत्ति 23ग के माध्यम से प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि निर्णय दिनांक 10.03.2016 से क्षुब्ध होकर ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील संख्या-214/2016 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम सोमेश्वर आदि दाखिल की जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2018 को खारिज कर दिया गया है तथा न्यायालय की डिकी दिनांक 10.03.2016 को बहाल रखा गया। ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने अपने पत्र दिनांक 10.10.2019 में रिफरेन्स वाद संख्या-161/70 सन् 1992 विजयबहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद निर्णय दिनांक 28.05.1998 न्यायालय अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर का हलावा दिया है इस वाद में भी न्यायालय ने 72/-रुपये प्रति गज के हिसाब से प्रतिकर निर्धारण किया है, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील संख्या-517/1998 दाखिल की जो दिनांक 10.12.2014 को खारिज कर दी गयी। इसके उपरान्त माननीय उच्चतम न्यायालय में उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल एस0एल0पी0 संख्या-13553/2015 भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2015 को निरस्त किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा दाखिल प्रथम अपील संख्या-214/2016 निर्णय दिनांक 13.12.2016 में विजय बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के वाद का हवाला दिया गया है और उक्त वाद में जो भी निर्णय हुआ है उसका पूरा विवरण माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दिया है। इसलिये विजय बहादुर सिंह बनाम सरकार के रिफरेन्स वाद से सम्बन्धित सभी वादों के निर्णय के उपरान्त ही माननीय उच्च

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की अपील खारिज की है। इसस्तिये इनका यह कहना कि विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के रिफरेन्स वाद को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल करना एक बहकावा है और वाद को टाल कर पैसा न जमा करने की कोशिश है। ऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अपनी प्रथम अपील-214/2016 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम सोमेश्वर में ऋणी ने अपने अपील वाद में व्याज से सम्बन्धित पूरी बात रखी है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनके कथन को अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ऋणी द्वारा दाखिल प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिकीदार द्वारा सन् 1998 में भू-सन्दर्भ वाद संख्या-135/70/1998 दाखिल किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2016 को डिकीदार का वर्तमान भू-सन्दर्भ वाद निर्णीत एवं आज्ञाप्त किया गया था जिसके विरुद्ध निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष अपील दाखिल किया गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर, कानपुर नगर आदि द्वारा अनेक स्थगन आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि डिकीधन जमा करने के लिये एक माह बाद की तिथि नियत करने की कृपा की जाय जिसे स्वीकार करते हुये अनेक तिथियों पर निर्णीतऋणी को डिकी धनराशि जमा करने हेतु अनेक अवसर दिये गये तथा दिनांक 27.09.2019 को यह आदेश पारित किया गया कि नियत तिथि के पूर्व डिकी धनराशि अवश्य जमा किया जाय परन्तु दिनांक 01.10.2019 को भी डिकी धनराशि जमा नहीं किया गया ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी किये गये जिन्होंने न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर उपरोक्त स्थगन आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि उन्हें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिव्यू दाखिल करना है ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से आदेश प्राप्त करके दाखिल करने के लिये एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय जो स्पष्ट रूप से डिकी धनराशि के भुगतान को विलम्बित करने के आशय से दिया गया है। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा दाखिल आवेदन 22ग स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है ऐसी स्थिति में निर्णीत ऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत आवेदन 22ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत आवेदन
 22ग निरस्त किया जाता है। वर्स्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 25.10.2019 को पेश हो।
 निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देशित किया जाता है कि
 वह माननीय उच्च न्यायालय इस्तमाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो नियत तिथि के पूर्व
 दाखिल करें अन्यथा डिक्टी धनराशि का भुगतान करें।

(रमेश चन्द्र-प्रथम)
 17/10/2019

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एलट),
 कानपुर नगर।

25/10/2019 - गुरुपरवेषकाम उमसीत है
 अवधेन 28 ग घर आपत्ति धमान्तर
 दो बाल आपत्ति निस्तराम
 अवधेन 28 ग तितोके 02/11/19
 कापेश द्वा
25/10/2019

R.P. 10/10/19

5/11/19
R.P. 10/10/19
N.P. 10/10/19

2-11-19

गुरुपरवेषकाम उमसीत है
 P.0. फूलपुर छलामा पट्टी को 2-11-19 को
 धमान्तर निस्तराम द्वारा 5-11-19 को
 देशद्वा

N.P. Judge 5/1

5-11-19

गुरुपरवेषकाम उमसीत है
 सही नियम विवरण द्वारा देशद्वा
 देशद्वा द्वारा 5-11-19 को देशद्वा
 800 7-11-19 को देशद्वा

SAL Judge 5/1

7
11
19

7-11-19

गुरुपरवेषकाम उमसीत है
 आपत्ति धमान्तर निस्तराम द्वारा 7-11-19 को देशद्वा
 धमान्तर निस्तराम द्वारा 11-11-19 को देशद्वा

SAL Judge 5/1

SAL
10/10/19

11/11/19
R.P. 10/10/19
N.P. 10/10/19

19
11

Ex. No. 3/2016

संख्या - 5/5

11/11/2019 - नुकरी प्रशासन अधिकारी द्वारा

निषेध करने का अधिकार प्रदान किया गया।
26 रुपये रुपये 500/- रुपये रुपये
पर इनका लोग नुकरा
निषेध 13/11/19 को दिया गया।
अक्षय अवसर दिया गया।

11/11/19

13/11/2019 - नुकरी प्रशासन अधिकारी द्वारा

किप्पी/डीफार होता, जापान 275/-
दोषले बोया जाता है इसे अदृश
निषेध 19/11/2019 को दिया गया।

13/11/2019

R. Gehlot
(र.)
B. J. V.P.
(ब.ज.व.प.)

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), कानपुर नगर।
निष्पादन वाद संख्या-3/2016

(मूल सन्दर्भ वाद संख्या-135/70 सन् 1998)

सोमेश्वर

बनाम

उत्तरप्रदेश राज्य आदि

दिनांक 19.11.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा आवेदन 25ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि इजरा वाद हाजा के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रकीर्ण वाद संख्या-1547/74 सन् 2019 आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता दाखिल की है। अतः प्रकीर्ण वाद संख्या-1547/74 सन् 2019 आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता के निस्तारण होने तक इजरा वाद हाजा की कार्यवाही को स्थगित करने हेतु आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

विपक्षी/डिकीदार ने आवेदन 27ग2 के माध्यम से आपत्ति करते हुये कहा है कि प्रतिवादी/निर्णीत ऋणी संख्या-2 के द्वारा उपरोक्त मुकदमें में प्रार्थनापत्र कागज संख्या-24ग प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के उपरान्त दिनांक 17.10.2019 को निरस्त किया जा चुका है। निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित आधार निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा उपरोक्त मुकदमें में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या-24ग में वर्णित आधार एक समान हैं। निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित आधार न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2019 को निर्णीत किये जाने के कारण निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सम्बन्धित प्रकीर्ण वाद संख्या-1547/74 सन् 2019 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम सोमेश्वर आदि में निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा दाखिल आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता आधार पर्याप्त न होने के कारण आज दिनांक 19.11.2019 को निरस्त किया जा चुका है एवं प्रकीर्ण वाद संख्या-1547/74 सन् 2019 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम सोमेश्वर आदि निस्तारित किया जा चुका है ऐसी रिथिति में निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत आवेदन 25ग2 स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार आवेदन 25ग-2 निरस्त

किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 26.11.2019 को पेश हो। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो नियत तिथि के पूर्व दाखिल करें अन्यथा डिकी धनराशि का भुगतान करें।

Rajendra
26/11/19

19/11/2019
(रमेश चन्द्र-प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश / एस०सी०एस०टी०, कानपुर नगर।इजरावाद संख्या-03/2016

सोमेश्वर..... बनाम..... उत्तर प्रदेश राज्य आदि।

दिनांक-26.11.2019

पुकार पर पक्षकार उपस्थित। निर्णीतत्रृणी नं०-२ उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवेदन सं० २९ग प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी को इस न्यायालय के आदेश दिनांकित १९.११.१९ के विरुद्ध रिवीजन दाखिल करके माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से इजरा की कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु समय देने की कृपा की जाये।

उपरोक्त आवेदन का विरोध करते हुये डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति २८ग दाखिल कर कहा गया है कि जब तक अधीक्षण अभियन्ता को तलब नहीं किया जायेगा तब तक डिकी धन जमा नहीं हो पायेगा। उनकी निगाह में न्यायालय उनका कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में निर्णीतत्रृणी नं०-२ के अधीक्षण अभियन्ता को तलब करने का आदेश पारित किया जाये।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निर्णीतत्रृणी नं०-२ द्वारा दाखिल आपत्ति अंतर्गत धारा ४७ सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक १९.११.१९ को निरस्त किया गया है जिसके विरोध में रिवीजन दाखिल कर स्थगनादेश दाखिल करने हेतु समय की याचना की गई है। न्यायहित में निर्णीतत्रृणी नं०-२ का आवेदन २९ग हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतत्रृणी नं०-२ का आवेदन २९ग अंकन ५००/-रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक ०५.१२.१९ को पेश हो। निर्णीतत्रृणी नं०-२ को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का स्थगनादेश है तो दाखिल करे, अन्यथा डिकी की धनराशि का भुगतान करे।

(रमेश धन्द्र-प्रथम)
विशेष न्यायाधीश / एस०सी०एस०टी०,
कानपुर नगर।

26/11/19
रमेश धन्द्र-प्रथम
26/11/19

2/2

5

निष्पादन वाद संख्या-3/2016

दिनांक 07.12.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के विद्वान अधिवक्ता ने स्थगन आवेदन 31ग दाखिल करके निवेदन किया गया है कि आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता के निरस्त किये जाने के निर्णय दिनांक 19.11.2019 के विरुद्ध प्रार्थी को रिवीजन दाखिल करना है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से इजरा कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त करके अथवा रिव्यू जादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा घोर आपत्ति करते हुये कहा गया है कि निर्णीतऋणी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अब रिकवरी कार्यवाही किया जाना उचित है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान इजरा वाद सन 2016 में दाखिल किया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2008 को निरस्त किया जा चुका है। इसके पूर्व से भी निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनेक स्थगन आवेदन देकर मामले को विलम्बित किया गया है तथा बार बार स्थगन आवेदन देकर निवेदन किया गया है कि स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जाय जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी द्वारा स्पष्ट रूप से मामले को विलम्बित किया जा रहा है। फिर भी न्यायहित में निर्णीतऋणी का स्थगन आवेदन स्वीकार करते हुये माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करने हेतु एक अन्तिम अवसर दिया जाना न्यायसंगत होगा।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का स्थगन आवेदन 31ग मु0 500/-रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 16.12.2019 को पेश हो। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो नियत तिथि के पूर्व दाखिल करें अन्यथा डिकी धनराशि का भुगतान करें।

21/12/19
मूल दस्तावेज

07/12/2019
(रमेश चन्द्र-प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-3/2016दिनांक 16.12.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिकीदार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी उपस्थित नहीं है। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से आवेदन 32ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा न्यायालय में दाखिल आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रकीर्ण वाद संख्या-1547/74/2019 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद बनाम सोमेश्वर आदि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2019 निरस्त की गयी थी जिसके विरुद्ध प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करना है जिस हेतु प्रार्थी आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रकीर्ण वाद संख्या उपरोक्त में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करने हेतु फार्मर आर्डर की प्रमाणित प्रति दिनांक 03.12.2019 को प्राप्त हुयो है। नकलें प्राप्त होने के बाद परिषद मुख्यालय से अधिवक्ता नियोजित हो चुका है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है तथा माह दिसम्बर 2019 मे आगे माननीय उच्च न्यायालय में अवकाश रहेंगे। अतएव नियोजित अधिवक्ता से रिवीजन तैयार व दाखिल कराकर रिवीजन में अथवा इजरा वाद के पक्षकारों के मध्य विचाराधीन रियू में माननीय उच्च न्यायालय में इजरा वाद की कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु आज की तिथि स्थगित करके पर्याप्त समय देकर माह जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि प्रदान करने की कृपा करें।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया है कि निर्णीतऋणी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी किया जाना आवश्यक है। डिकीदार की ओर से शपथपत्र 33ग के माध्यम से निर्णीतऋणी का बैंक खाता प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया गया है कि निर्णीतऋणी का बैंक एकाउण्ट कुर्क करके डिकीदार का डिकीधन दिलाया जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। निर्णीतऋणी की तरफ से प्रस्तुत आवेदन 32ग में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि निर्णीतऋणी को दिनांक 03.12.2019 को नकल प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका। ऐसी रिथित में आज की तिथि स्थगित करके जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि नियत की जाय परन्तु बार-बार पुकार करने पर भी आवेदन 32ग पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं आ रहा है जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी द्वारा वर्तमान इजरा को विलम्बित करने के आशय से आवेदन 32ग प्रस्तुत किया गया है। फिर भी न्यायहित में निर्णीतऋणी को एक अन्तिम अवसर दिया जाना न्यायसंगत है। मामले की परिस्थितियों में निर्णीतऋणी का स्थगन आवेदन स्वीकार हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का स्थगन आवेदन 32ग मु0 500/-रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 23.12.2019 को पेश हो। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि के पूर्व डिकी धनराशि अदा करे अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल करे। निर्णीतऋणी संख्या-2 का अब कोई स्थगन आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

16/12/2019
(समरा चन्द-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

04/01/2020

निष्पादन वाद संख्या-3/2016दिनांक 23.12.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिकीदार एवं निर्णीत ऋणी उपरिथित हैं। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से आवेदन 34ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा न्यायालय में दाखिल आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता में आपत्ति निरस्त के आदेश दिनांक 19.11.2019 के विरुद्ध प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करना है जिसके लिये फार्मल आर्डर एवं नकल प्राप्त होने के बाद अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है तथा मूल सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपील के निरस्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध पक्षकारों के मध्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध पक्षकारों के मध्य माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल व विचाराधीन है जिसमें भी सुनवाई होकर आदेश प्राप्त होना है, परन्तु दिनांक 31.12.2019 तक माननीय उच्च न्यायालय में अवकाश है। अतएव उक्त आपत्ति धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता में पारित उक्त आदेश के विरुद्ध रिवीजन दाखिल कराकर रिवीजन में अथवा इजरा वाद के पक्षकारों के मध्य विचाराधीन उक्त रिव्यू में माननीय उच्च न्यायालय से इजरा वाद की कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु आज की तिथि स्थगित करके पर्याप्त समय देकर माह जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि प्रदान करने की कृपा करें।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया है कि निर्णीतऋणी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र निरस्त करके निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी किया जाना आवश्यक है। डिकीदार की ओर से शपथपत्र 36ग के माध्यम से विपक्षी का बैंक खाता प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया गया है कि निर्णीतऋणी का बैंक एकाउन्ट कुर्क करके डिकीदार का डिकीधन दिलाया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान इजरा वाद सन 2016 में दाखिल किया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। इसके पूर्व भी निर्णीतऋणी द्वारा अनेक स्थगन आवेदन देकर मामले को विलम्बित किया गया है तथा बार-बार स्थगन प्रार्थनापत्र देकर निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जाय। दिनांक 16.12.2019 को भी निर्णीतऋणी द्वारा इसी आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकार करते हुये यह आदेश पारित किया गया था कि नियत तिथि को निर्णीतऋणी डिकी धनराशि डिकीदार को अदा

करे अन्यथा यदि माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल करे तथा
यह भी आदेश पारित किया गया था कि निर्णीतक्रृणी संख्या-2 का अब कोई स्थगन आवेदन
स्वीकार नहीं होगा। परन्तु निर्णीतक्रृणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित
कोई स्थगन आदेश दाखिल नहीं किया गया है एवं स्थगन प्रार्थनापत्र 34ग प्रस्तुत करके निवेदन
किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिव्यू दाखिल व विचाराधीन है
तथा निर्णीतक्रृणी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2019 की नकल प्राप्त हो चुकी है
परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है ऐसी स्थिति में आज की तिथि स्थगित करके
जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि नियत की जाय। जिससे स्पष्ट है कि
निर्णीतक्रृणी द्वारा निष्पादन कार्यवाही को विलम्बित करने के लिये उरोक्त स्थगन आवेदन
प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। मामले की
परिस्थितियों में निर्णीतक्रृणी का स्थगन आवेदन 34ग स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं
है। निर्णीतक्रृणी द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन 34ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतक्रृणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत स्थगन
आवेदन 34ग निरस्त किया जाता है। निर्णीतक्रृणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी हो। अमीन
को परवाना जारी हो। पैरवी अन्दर तीन दिन की जाए। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक
04.01.2020 को पेश हो।

(रमेश चन्द्र-प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

13/01/2020

DN 02
24/12/19

निष्पादन वाद संख्या-3/2016दिनांक 04.01.2020:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवेदन 36ग समर्थित शपथपत्र 37ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि इजरा उपरोक्त के मूल वाद में डिकीत भूमि का उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत प्रथम नोटिफिकेशन दिनांक 17.02.1973 व धारा-32 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 27.02.1980 को हुआ था परन्तु अर्जन से क्षुब्ध कुछ भू स्वामिया द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समुख याचिका संख्या-10965/1982 प्रस्तुत की गयी थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.1984 को खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप भूस्वामियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समुख एस0एल0पी0 संख्या-11697/1984 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें दिनांक 12.08.1993 को यह आदेश पारित किये गये थे कि भू-स्वामियों को धारा-6 की विज्ञप्ति के वर्ष 1980 में प्रचलित बाजारु मूल्य की दर से प्रतिकर का भुगतान किया जावे तथा धारा-4 जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम वो धारा-28 के सम्बन्ध में है तथा जिसका प्रकाशन दिनांक 17.02.1973 को हुआ था को काल्पनिक रूप से यह स्वीकार किया जावेगा कि उक्त का प्रकाशन वर्ष 1980 में धारा-6 की विज्ञप्ति की तिथि 27.02.1980 को हुआ है। न्यायालय ने इजरा उपरोक्त के मूल वाद में पारित निर्णय/डिकी दिनांकित 10.03.2016 को डिकीदारानों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांकित 12.08.1993 से आच्छादित एक अन्य भू सन्दर्भ वाद संख्या-162/70/1992 में माननीय अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय/डिकी दिनांकित 28.05.1998 के आधार पर वर्ष 1980 में प्रचलित रूपये 72.00 प्रति वर्गमाज की दर से बाजारु मूल्य निर्धारित किया गया है परन्तु 12 प्रतिशत अतिरिक्त दिनांक 27.02.1980 के स्थान पर दिनांक 17.02.1973 से दिखाया गया है जो कि उक्त निर्णय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश व भूमि अध्यादि अधिनियम की धारा-23(1-ए) के विपरीत है। डिकीदारानों को सोलैशियम तथा अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशियों पर भी ब्याज दिलाया गया जो कि 162/70/1992 विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में पारित निर्णय/डिकी के विपरीत है। न्यायालय द्वारा इजरा उपरोक्त के मूल वाद में पारित निर्णय/डिकी दिनांकित 10.03.2016 के विरुद्ध विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के रामकृष्ण प्रथम अपील संख्या डी-214/2016 प्रस्तुत की थी जिसमें 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर को दिनांक 17.02.1973 के स्थान पर दिनांक 27.02.1980 से दिलाये जाने की माँग की गयी थी परन्तु विभाग की इस माँग पर माननीय न्यायालय का स्पष्टीकरण न आने के कारण रिव्यू

पिटीशन दाखिल किया गया है जिसमें शीघ्र सुनवाई कराकर स्थगन आदेश प्राप्त करने का प्रयास विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री नवनीत सिंह त्रिपाठी, एडवोकेट द्वारा की जा रही है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है।)
न्यायालय के सम्मुख भी इजरा के विरुद्ध आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत की गयी थी। जो प्रकीर्ण वाद संख्या-1547/74 सन 2019 के नम्बर पर दर्ज होकर गुण व दोष के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2019 को खारिज की जा चुकी है जिसके विरुद्ध भी माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख रिवीजन वाद प्रस्तुत करने हेतु विभाग के मुख्यालय लखनऊ से अपर आवास आयुक्त एवं सचिव माहेदय से अनुमति प्राप्त हो गयी है तथा रिवीजन दाखिल कराकर शीघ्र ही आदेश प्राप्त करने हेतु श्री नवनीत चन्द्र त्रिपाठी, एडवोकेट के माध्यम से प्रभावी पैरवी की जा रही है। डिकीधन जमा करने में हो रहे विलम्ब से डिकीदार को कोई वित्तीय क्षति नहीं हो रही है। चूंकि डिकीधन जमा करने की तिथि तक उसे 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की अदायगी प्रार्थी के विभाग को करना होगा। बाजारु मूल्य की धनराशि पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिनांक 27.02.1973 से दिये जाने पर प्रार्थी के विभाग को अपूर्णनीय आर्थिक क्षति होगी तथा जिसकी प्रतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं होगा एवं इसका प्रभाव अन्य लम्बित भू-रान्दर्भ वादों पर भी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इजरा उपरोक्त में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश वास्ते कुर्की दिनांकित 23.12.2019 को रिकाल/अपास्त करके माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख लम्बित रिव्यू पिटीशन/रिवीजन प्रस्तुत करते हुये स्थगन आदेश प्राप्त करके न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय दिये जाने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2019 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। निर्णीतऋणी का प्रार्थनापत्र खारिज करके रिकवरी वारण्ट जारी करने की कृपा की जाय। पैरवी हो चुकी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान इजरा वाद सन 2016 में दाखिल किया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। इसके पूर्व भी निर्णीतऋणी द्वारा अनेक स्थगन आवेदन देकर मामले को विलम्बित किया गया हैं तथा बार-बार स्थगन प्रार्थनापत्र देकर निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जाय। दिनांक 16.12.2019 को भी निर्णीतऋणी द्वारा इसी आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकार करते हुये यह आदेश पारित किया गया था कि नियत तिथि को निर्णीतऋणी डिकी धनराशि डिकीदार को अदा

करे अन्यथा यदे माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल करे तथा यह भी आदेश पारित किया गया था कि निर्णीतऋणी संख्या-2 का अब कोई स्थगन आवेदन स्वीकार नहीं होगा परन्तु निर्णीतऋणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित कोई स्थगन आदेश दाखिल नहीं किया गया है एवं दिनांक 23.12.2019 को पुनः निर्णीतऋणी द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र 34ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिव्यू दाखिल व विचाराधीन है तथा निर्णीतऋणी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2019 की नकल प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है ऐसी स्थिति में आज की तिथि स्थगित करके जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि नियत की जाय। जिसे दिनांक 23.12.2019 को निरस्त करते हुये निर्णीतऋणी संख्या-2 के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी किया जा चुका है परन्तु निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा आज भी डिकी धनराशि जमा न करके उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि आदेश दिनांक 23.12.2019 रिकाल/अपास्त करके स्थगन आदेश दाखिल करने हेतु एक माह का समय दिये जाने की कृपा की जाय। जिसे स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 36ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत आवेदन 36ग निरस्त किया जाता है। निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी हो। अभीन को परवाना जारी हो। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 13.01.2020 को पेश हो।

04/01/2020
(रमेश चन्द्र-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/ एस0टी0 एक),
कानपुर नगर।

8-1-20

आज ११ अक्टूबर ३१ अक्टूबर है
भैरवी की गाड़ी निर्भावना
की नियत विवेद है नियमावासन
भास्तु है।

13/01/2020- पुकार रिक्विल उपस्थित है ११ बर्फी त
करी उपस्थित नहीं है अभीन ने कोई भ्राता
उपरोक्त दस्ती किया है अभीन को नियमावासन
में है) दस्ती अलग जाहें इनके १४/01/2020
को यादा है। 13/01/2020

मुख्यमन्त्री
राज्यपाल
राज्यपाल

दिनांक 18.01.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी द्वारा डिकी धनराशि अदा नहीं किया गया है। मौखिक रूप से निर्णीत ऋणी के विद्वान आविक्ता एवं पैरोकार द्वारा कहा गया है कि अधीक्षण अभियन्ता निर्माण खण्ड द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि न्यायालय के आदेश से उन्हें अवगत कराया जा चुका है। अमीन ने आख्या दिया है कि निशानदेही न होने के कारण वारण्ट का तामीला नहीं हो सका। पुनः वसूली वारण्ट जारी हो। पैरवी अन्दर तीन दिन किया जाय। वारते अग्रिम आदेश दिनांक 29.01.2020 को पेश हो।

18/01/2020
(रमेश चन्द्र-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
कानपुर नगर।

23/1/20

जामा किंवा दाता दाता नहीं
मिला किंवा दाता / नामेष्युज्ज्ञान
नामान्वित हो जाता है।

Shri Sudarshan Singh

29/1/20

प्राइवेट अधिकारी
न्यायिक कार्यालय वास्तव
पुरिशाकायालय वास्तव
काशीगढ़ राज्य नियमित
(पैरोकार)
कानपुर नगर।

सत्रांक 5/13

निष्पादन वाद संख्या-3/2016

दिनांक 04.02.2020:-

पुकार पर डिकीदार उपस्थित है। निर्णीतकरणी उपस्थित नहीं है। अमीन द्वारा जारी वसूली वारण्ट के सन्दर्भ में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही कोई समय की माँग की गयी है। अदालत अमीन को कारण बताओ नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 10.02.2020 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०) / एस०टी०एक्ट),
कानपुर नगर।
AC2020

कानपुर प्रस्तुति
कानपुर
(न) २०२०

निषादन वाद संख्या-3/2016

दिनांक 10.02.2020:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिकीदार उपस्थित है। निर्णीतऋणी उपस्थित नहीं है। डिकीदार की तरफ से आवेदन 39ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय द्वारा रिकवरी वारण्ट ऋणी संख्या-2 अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, निर्माण खण्ड-17, कल्यानपुर कानपुर नगर पर निकाला गया था जिसमें अमीन द्वारा अपनी रिपोर्ट न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट में ऋणी संख्या-2, अधिशासी अभियन्ता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे जिसके कारण रिकवरी की कार्यवाही नहीं हो सकी है। ऋणी संख्या-2 सरकारी कार्यालय है और कर्मचारी है जिसके कारण रिकवरी की कार्यवाही करने में अमीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में डिकीदार द्वारा ऋणी के बैंक खाते का नम्बर, नाम व पता शपथपत्र दिनांकित 16.12.2019 कागज संख्या-36ग द्वारा दाखिल किया गया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में ऋणी का बैंक खाता जो शपथपत्र में दिये गये हैं को कुर्क करके डिकीदार मंगाया जाना आवश्यक है। अतः ऋणी के बैंक खाता, इजरा वाद में दिये गये धन रूपये 1,26,43,252/- को कुर्क करने की कृपा करें।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिकी धनराशि के भुगतान के लिये निर्णीतऋणी के विरुद्ध वसूली वारण्ट जारी किया गया था। अदालत अमीन की आख्यानुसार निर्णीत ऋणी के कर्मचारी द्वारा न्यायालय अमीन को यह अवगत कराया गया कि अधीक्षण अभियन्ता डिफेन्स एक्सपो 2020 में ड्यूटी लगी होने के कारण लखनऊ गये हुये हैं। उनकी ड्यूटी से वापस होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। परन्तु आज तक निर्णीतऋणी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर डिकी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जनवृद्धकर न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डिकी धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में डिकीदार का आवेदन 39ग स्वीकार किये जाने योग्य है तथा निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बचत खाता संख्या-27351110000195 एवं बचत खाता संख्या-27351110000201 आन्धा बैंक केशवपुरम, कानपुर नगर अग्रिम आदेश तक कुर्क किये जाने योग्य है।

आदेश

डिकीदार का आवेदन 39ग स्वीकार किया जाता है। निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बचत खाता संख्या-27351110000195 एवं बचत खाता संख्या-27351110000201 आन्धा बैंक केशवपुरम, कानपुर नगर अग्रिम आदेश तक कुर्क किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि न्यायालय के किसी सहजदृश्य भाग पर लगायी जाय तथा एक प्रतिलिपि निर्णीतऋणी को भेजी जाय। अनुपालन हेतु सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक को पत्र प्रेषित हो। वारते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 18.02.2020 को पेश हो।

(रमेश चन्द्र-प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
कानपुर नगर।

24/02/2020
रमेश

SPL. Judge ces/57.01

Ex- 3/16

18/02/2020 - गुरुवर कोकीर वार्षिकी
निर्णय देता उम्मीद नहीं है कि
वी आज आपके साथ बिल्डिंग
परिसर में अपने घर के छोर
द्वितीय 24/02/2020 को छोड़ दें।

18/02/2020

दिनांक 24.02.2020:-

निष्पादन वाद संख्या-3/2018

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिकीदार उपस्थित है। निर्णीतऋणी उपस्थित नहीं है। डिकीदार की तरफ से आवेदन 43ग एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का आदेश दिनांक 13.02.2020 प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बैंक खाता कुर्क करने के लिये बैंक खाता नम्बर दिये गये थे, उसमें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 लिखा गया है जिसके कारण बैंक में खाता सीज नहीं हो सके। आंध्रा बैंक के बैंक खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के नाम से संचालित किये जा रहे हैं, इसलिये बैंक खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के सील करने के लिये बैंक को पुनः पत्र भेजा जाना न्यायहित में आवश्यक है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता डिकी का भुगतान करने के लिये संस्तुति नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधीक्षण अभियन्ता को तलब करना भी न्यायहित में आवश्यक है। ऋणी के द्वारा दाखिल रिवीजन माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.02.2020 को खारिज कर दिया गया है। अतः बैंक खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का कुर्क करने एवं अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-17 कानपुर को तलब करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अदलोकन किया। पत्रावली के अपलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्णीतऋणी का सिविल रिवीजन निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी हो। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 27.02.2020 को पेश हो।


 (रमेश चन्द्र-प्रथम)
 विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट),
 कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-3/2016

दिनांक 27.02.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी ने आवेदन 45ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिकी धनराशि स्वीकृत करने हेतु समिति की बैठक आमंत्रित की गयी है, जिससे डिकीधन स्वीकृत होना है। डिकीधन स्वीकृत हो जाने के पश्चात् विभाग के मुख्यालय से डिकीधन अवमुक्त कराकर न्यायालय में जमा करने में 20 से 25 दिन का समय लग जायेगा। ऐसी स्थिति में इजरा वाद में पारित आदेश कुर्की को स्थगित करके डिकीधन जमा करने हेतु प्रार्थी/निर्णीतऋणी को 25 दिन का समय दिया जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुये कहा है कि निर्णीतऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान विलम्बित किया जा रहा है तथा डिकीदार की डिकी धनराशि जमा नहीं किया जा रहा है। निर्णीतऋणी का आवेदन निरस्त किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आगास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है मात्र निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 45ग2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 45ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 03.03.2020 को पेश हो। नियत तिथि से पूर्व निर्णीतऋणी डिकी धनराशि अवश्य जमा करे।

(रमेशचन्द्र-प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

27/02/2020

संलग्नक - 5/16

निषादन वाद संख्या-3/2016

दिनांक 03.03.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी ने आवेदन 46ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिकी धनराशि जमा करने हेतु विभागीय कार्यवाही की जा रही है एवं अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ वृत्त कानपुर के कार्यालय द्वारा डिकीधन स्वीकृत हो चुका है तथा डिकीधन मुख्यालय लखनऊ से अवमुक्त करकार न्यायालय में जमा करने हेतु 20 दिन का समय प्रदान करते हुये कोई अन्य तिथि नियत करने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुये कहा है कि निर्णीतऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान विलम्बित किया जा रहा है तथा डिकीदार की डिकी धनराशि जमा नहीं किया जा रहा है। निर्णीतऋणी का आवेदन निरस्त किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है मात्र निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन मामले को विलम्बित करने के उददेश्य से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 46ग2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 46ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 07.03.2020 को पेश हो। नियत तिथि से पूर्व निर्णीतऋणी डिकी धनराशि अवश्य जमा करे।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

03/03/2020

निष्पादन वाद संख्या-3/2016

दिनांक 07.03.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी ने आवेदन 48ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिकीध स्वीकृत हो चुका है। डिकीध मुख्यालय लखनऊ से अवमुक्त किये जाने पर न्यायालय में जमा करने हेतु आज की तिथि स्थगित करके 10 दिन का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुये कहा है कि निर्णीतऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान विलम्बित किया जा रहा है तथा डिकीदार की डिकी धनराशि जमा नहीं किया जा रहा है। निर्णीतऋणी का आवेदन निरस्त किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है मात्र निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 48ग2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 48ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 16.03.2020 को पेश हो। नियत तिथि से पूर्व निर्णीतऋणी डिकी धनराशि अवश्य जमा करे।

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०) 07/03/2020
कानपुर नगर।

प्रधानमंत्री/अधिकारी/न्यायिक ग्राम
से विरत्त बाल अनुगमन विभाग -
प्रिय 17/3/2020 की पैरामी
अ.प. नाम - C.S.T.
Kanpur Nagar

17/03/2020

16/03/20

21/3/20
मा.पा.
मा.पा.

3/4

निष्पादन वाद संख्या-3 / 2016

दिनांक 17.03.2020:-

पत्रावली पेश हुई। कोरोना महामारी के कारण डिक्टीदार एवं निर्णीति-निरूपणी के विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं। वास्ते सुनवाई दिनांक 21.03.2020 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी० / एस०टी० एकट),
कानपुर नगर।

कानपुर नगर।

दिनांक 21.03.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि डिकी धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। निष्पादन वाद संख्या-4/2020 में मुद्रा 35,42,636/-रुपये डॉ०डॉ० संख्या-208629 जमा किया जा चुका है। इस इजरा वाद में भी इसी माह के अन्त तक डिकी धनराशि जमा कर दी जायेगी। ऐसी स्थिति में डिकीधन जमा करने के लिये कम से कम 15 दिन का समय देने की कृपा की जाय। जिस पर डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं किया है। ऐसी स्थिति में निर्णीतऋणी को डिकी धनराशि जमा करने के लिये एक सप्ताह का अवसर दिया जाता है। वास्ते सुनवाई पत्रावली दिनांक 27.03.2020 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एकट),
कानपुर नगर।

कानपुर नगर ।

$$\begin{array}{r}
 27\cdot 320 \\
 - 29\cdot 420 \\
 \hline
 30\cdot 520 \\
 - 29\cdot 720 \\
 \hline
 \end{array}$$

१९ नोवेंबर २०१९ को नियम संपादन
वर्तमान तिथि ०२-९-२०२१ वर्तमान
संस्कृत भाषा

219120

St. George's University —

17.820

ମୁଣ୍ଡର ପାଇଁ ୧୫୫ ଟଙ୍କା
ସୁଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ ୨୦୦ ଟଙ୍କା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एकट, कानपुर नगर।

प्रकार्ण प्रार्थनापत्र संख्या-1547/74 सन् 2019

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम सोमेश्वर आदि

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 19.11.2019
अन्तर्गत धारा-47 सी.पी.सी.
विरुद्ध इजरा संख्या- 3/2016.

19.11.2019:-

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। आवेदक उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रार्थनापत्र-3ग अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया गया है कि आपत्तिकर्ता विपक्षी संख्या-2 इजराय वाद उपरोक्त में प्रश्नगत मूल सन्दर्भ वाद-135/70 सन् 1998 सोमेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित निर्णय/डिकी दिनांक 10.03.2016 के विरुद्ध आपत्ति में कथन करता है कि आपत्तिकर्ता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसे एतदपश्चात् परिषद कहा गया है, का अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड-17 योजना संख्या-1 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ऑफिस काम्प्लेक्स कल्यानपुर कानपुर नगर का है तथा इजरा वाद उपरोक्त में प्रार्थनापत्र, शपथपत्र, आपत्तिपत्र, प्रतिशपथपत्र आदि हस्ताक्षरित, सत्यापित व प्रस्तुत करने हेतु सक्षम व उत्तरदायी है। आज्ञापिधारक द्वारा प्रस्तुत इजरा वाद हाजा-3/2016 के मूल वाद-135/70/1998 में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आज्ञापि दिनांक 10.03.2016 में समाहित भूमि का अर्जन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समकक्ष है, के प्रकाशन की तारीख दिनांक 17.02.1973 तथा धारा-6 जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समकक्ष है, में प्रस्तुत इजरा वाद के प्रकाशन दिनांक 27.02.1980 के द्वारा किया गया था। उक्त अर्जन से क्षुब्ध कुछ भू-स्वामियों द्वारा अर्जन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या-10965 सन् 1982 प्रस्तुत की गयी थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.1984 को खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप भूस्वामियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस०एल०पी० सी.-11697/1984 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि भू स्वामियों के धारा-6 की विज्ञप्ति के प्रकाशन की समय वर्ष 1980 की बाजार दर से प्रतिकर का निर्धारण किये जाने के आदेश पारित किये गये थे जिसके अनुपालन में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 13.12.1996 को संशोधित अभिनिर्णय घोषित किया गया। आज्ञापि धारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रस्तुत प्रश्नगत निर्णय आज्ञापि दिनांक 10.03.2016 न्यायालय द्वारा अनुतोष देने व आदेश

पारित करने हेतु स्वयं में निहित अधिकार एवं निहित क्षेत्राधिकार के अभाव में पारित होने के कारण प्रारम्भ से ही विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण माननीय निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है बल्कि निरस्त किये जाने योग्य है। आज्ञाप्ति धारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रस्तुत आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरीशंकर गौर एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 जो ए०आई०आर० एस०सी० 1994 पेज 169 प्रकाशित है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-4 जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है, की विज्ञप्ति को एवं भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-6 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, के प्रकाशन के वर्ष को जारी होना माने जाने की गयी गयी उपधारणा एवं उसके आधार पर अन्य सन्दर्भ वादों—161/70 सन् 1992, 161/70 सन् 1992, 161/70 सन् 1992 क्रमशः राजाराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व श्री कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व चन्द्रपाल सिंह मृतक बादू विजय बहादुर आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि, तीनों एकीकृत वादों में पारित निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 28.05.1998 के विपरीत एवं उनकी दृष्टिपेक्षा होने की चूक करके पारित है जो विधिक दृष्टि से प्रारम्भ से ही नल्टी, अकृत, निष्प्रभावी व शून्य होने के कारण न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। आज्ञाप्तिधारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 में न्यायालय द्वारा निम्नवत् पारित है। “याचीगण के भू-सन्दर्भ वाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० में पारित आदेश दिनांक नवम्बर-1/6,2015 के अनुपालन में याचीगण 1980 से प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में 72/-रुपये प्रति वर्गगज की दर से बाजार कीमत पाने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा उक्त बाजार कीमत की धनराशि पर 30 प्रतिशत सोलेसियम भी पाने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा याचीगण उक्त बाजारी कीमत का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन प्रथम प्रकाशन की तिथि 17.02.1973 से कब्जे की तिथि 04.01.1985 तक पाने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा याचीगण इन सभी बढ़ी हुयी एक्सेस प्रतिकर धनराशि पर कब्जे की तिथि 04.01.1985 से प्रथम वर्ष के लिये यानी 03.01.1985 तक 9 प्रतिशत व्याज एवं उसके बाद से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज भी पाने के अधिकारी होंगे। एस०एल०ए० ३० द्वारा पूर्व में इस सम्बन्ध में याचीगण को प्रदान की गयी धनराशि यदि कोई है इस प्रतिकर धनराशि में समायोजित की जायेगी। तदनुसार भूमि अध्याप्ति अधिकारी कानूनपुर

[3]

नगर के कार्यालय द्वारा गणना चार्ट तैयार किया जाये। इस सन्दर्भ की एक-एक प्रति सम्बन्धित भू-सन्दर्भ वादों की पत्रावलियों में भी रखी जावे।" माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० में पारित आदेश दिनांक नवम्बर 6, 2015 जो अन्य सन्दर्भ वाद 161/70 सन् 1992 राजाराम सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र०राज्य के निर्णय दिनांक 28.05.1998 के विरुद्ध आवास विकास परिषद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल प्रथम अपील संख्या-552/1998 उ०प्र० आवास विकास परिषद बनाम राजाराम सिंह एवं अन्य के निरस्त किये जाने के निर्णय दिनांक 10.12.2014 के विरुद्ध आवास विकास परिषद निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा पिटीशन्स फार स्पेशल लीव टू अपील सी नम्बर-15553/2015 माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त एवं जिसके अनुपालन में अन्य तीन एकीकृत सन्दर्भ वाद-161/70 सन् 1992, 162/70 सन् 1992, 163/70 सन् 1992 कमशः राजाराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व श्री कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व चन्द्रपाल सिंह मृतक बादहू विजय वहादुर आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि, जिनके लीडिंग फेस सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 उपरोक्त में पारित निर्णय डिकी दिनांक 28.05.1998 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरी शंकर एवं अन्य बनाम उ०प्र०राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 जो ए०आई०आर० एस०सी० 1994 पेज 169 प्रकाशित है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-4 की विज्ञप्ति को धारा-6 की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि/वर्ष को माने जाने की उपधारणा के आधार पर 72/- बहुतर रूपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारी मूल्य अन्तर्गत धारा-23(1) व उसका 30 प्रतिशत सोलेशियम अन्तर्गत धारा-23(2) व बाजारी कीमत का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन अन्तर्गत धारा 23(1)ए धारा-6 की नोटिफिकेशन की तिथि 21.10.1982 तक एवं कब्जा की तिथि से एक वर्ष की अवधि का 9 प्रतिशत एवं उसके बाद भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज न्यायालय द्वारा बृद्धि किये गये प्रतिकर बाजारी मूल्य पर दिये जाने तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन व सोलेशियम पर ब्याज नहीं दिये जाने हेतु निर्णीत एवं आजपत्र थे, यथावत जल हुये और तदनुसार ही इजराय बाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति में माननीय न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० नम्बर 15553/2015 में पारित आदेश दिनांक नवम्बर 6, 2015 के अनुपालन में याचीगण को 1980 से प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में 72/-रूपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारी कीमत पाने का अधिकारी होना कथित किया गया परन्तु उसके बाद माननीय उच्चतम

न्यायालय की अवधारित उक्त उपधारणा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है जो धारा-6 की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि / वर्ष जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, को माने जाने के विपरीत निर्णय दिनांक 10.03.2016 में इसके अलावा याचीगण उक्त बाजारी कीमत की धनराशि का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन वर्ष 1980 (27.02.1980) से कब्जे की तिथि 04.01.1985 तक दिये जाने के स्थान पर प्रथम नोटिफिकेशन की तिथि 17.02.1973 से कब्जे की तिथि 04.01.1985 तक दिये जाने तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन व सोलेसियम पर ब्याज दिये जाने का आदेश पारित किया गया जो विधिक दृष्टि से प्रारम्भ से ही नल्टी, अकृत, निष्प्रभावी व शून्य होने के कारण न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है बल्कि न्यायहित में निरस्त करने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है, को धारा-6 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है। अतएव माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त केस में भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-4 के प्रकाशन जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है, की तिथि 17.02.1973 को धारा-6 के विज्ञप्ति दिनांक 27.02.1980 के प्रकाशन के वर्ष जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, में जारी होने की, की गयी उपधारणा के आधार पर धारा-6 के प्रकाशन की तिथि के पूर्व की अवधि का वर्ष 1980 की बाजारी कीमत के अनुसार बृद्धि की गयी धनराशि का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन अन्तर्गत धारा-23(1)ए जो इजरा वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति में दिनांक 17.02.1973 से 26.02.1980 की अवधि का भी अधिकारातीत रूप से भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-23(1)ए के विहित विधिक प्राविधान के विपरीत दिलाया गया है जिसके कारण वह त्रुटिपूर्ण होने के साथ उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित उक्त विधिक उपधारणा के विरुद्ध है। परिणामतः न्यायालय द्वारा मूल वाद उपरोक्त में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2016 निहित क्षेत्राधिकार के अभाव में चूकवश पारित हुआ है तथा जिसके कारण इजराय वाद हाजा में न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। आज्ञाप्ति धारक द्वारा प्रस्तुत इजराय वाद में प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-4 के प्रकाशन की तिथि को धारा-6 के विज्ञप्ति के प्रकाश के वर्ष में जारी होने की गयी अवधारणा की विद्यमानता

[5]

में भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-23 (1) ए के विहित विधिक प्राविद्यानों के विपरीत व उसके असंगत होने व असम्बद्ध रूप से धारा-23 (1) के तहत वृद्धि की गयी बाजारी कीमत की धनराशि के 12 प्रतिशत की दर से दिनांक 17.02.1973 से 26.02.1980 की अवधि का अतिरिक्त धन आज्ञापिधारक को दिलाये जाने का न्यायालय द्वारा चूकवश आदेश परित हुआ है जिसको पारित करने का विधितः कोई औचित्य, आधार व क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण इजराय वाद हाजा में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आज्ञाप्ति विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 में समाहित आज्ञापिधारक के स्वामित्व की जिन भूमि आराजी नम्बरों का प्रतिकर निर्धारण किया गया है उनमें से आराजी नम्बर-289 रकवा 2 बीघा 7 बिस्ता 0 बिस्वांसी का आपत्तिकर्ता निर्णीत ऋणी संख्या-2 परिषद को कब्जा दखल अद्यतन प्राप्त नहीं है तथा एस0एल0ए0ओ0 द्वारा दिनांक 23.09.1996 तक 12 प्रतिशत धन की गणना करके त्रुटिपूर्ण प्रतिकर विवरण किया गया है जिसके कारण इजराय वाद हाजा में न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति विधिक दृष्टि से नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 में आज्ञापिधारक के स्वामित्व की जिन भूमि आराजी नम्बरों का प्रतिकर निर्धारण किया गया है उनमें से आराजी खसरा नम्बर-65 रकवा 1 बीघा 3 बिस्ता 0 बिस्वांसी कब्जा दिनांक 04.01.1985 खसरा नम्बर-71 रकवा 1 बीघा 2 बिस्ता 0 बिस्वांसी कब्जा दिनांक 04.01.1985 दोनों का कुछ भाग आज्ञापिधारक द्वारा विक्रय कर दिये जाने एवं शेष अनाधिकृत निर्माण होने के कारण भुगतान किया जाना उचित नहीं होग। जिसके कारण इजराय वाद हाजा में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति विधिक दृष्टि से विधिविरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है; इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 में न्यायालय द्वारा आज्ञापिधारक के द्वारा मूल वाद में दाखिल विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा पारित एवार्ड दिनांक 13.12.1996 का वर्णन व अनुकरण किया गया है जबकि यह एवार्ड दिनांक 13.12.1996 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गोरीशंकर गौर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-4 की विज्ञाप्ति को धारा-6 की विज्ञाप्ति के प्रकाशन की तिथि/वर्ष का माने जाने की उपधारणा के विपरीत व उसका उल्लंघन कर घोषित है तथा जिनको सन्दर्भ वाद

संख्या-161/70 सन 1992 राजाराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि जो तीन सन्दर्भ वादों का लीडिंग के केस हैं जो निर्णीतत्रयी संख्या-2 द्वारा पिटीशन्स फार स्पेशल लीव टू अपील सी नम्बर 15553/2015 माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने पर गाननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरसत होने के बाद सन्दर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिकी दिनांक 28.05.1998 का न्याय निर्णयन करने में अंगीकार नहीं किया गया है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गौरी शंकर एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी० एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 में अवधारित उक्त उपधारणा के विपरीत होकर कोई निर्णय आदेश पारित करने अथवा अभिनिर्णय घोषित करने का वैधानिक औचित्य नहीं है जिसके कारण इजराय वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति, विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध व शून्य होने के कारण निष्पादन योग्य नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर आपत्तिकर्ता निर्णीतत्रयी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार करके इजराय वाद हाजा में पारित प्रश्नगत आज्ञाप्तिधारक द्वारा प्रस्तुत मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त में पारित निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 निष्पादन योग्य न होने के कारण निरस्त किये जाने की कृपा की जाय।

विष्की/डिकीदार सोमेश्वर द्वारा आपत्ति 11ग2 प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि न्यायालय को रिफरेन्स वाद का निर्णय करने का अधिकार एवं उनका क्षेत्राधिकार पूर्ण रूप से एवं विधिक दृष्टि से प्राप्त है। विजय बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्णय दिनांक 28.05.1998 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 75/-रुपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारी कीमत निर्धारित की गयी है। उसी बाजारी कीमत 75/-रुपये प्रति वर्गगज की दर से न्यायालय ने इसके रिफरेन्स वाद में निर्धारित किया है। न्यायालय का आदेश/निर्णय दिनांकित 10.03.2016 विधिक दृष्टि से सही है। न्यायालय ने बाजारी कीमत 722-रुपये प्रति वर्गगज निर्धारित की जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विजय बहादुर सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में निर्धारित की गयी है। अन्य सभी लाभ धारा-23(1-ए), 23(2) एवं धारा-28 भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 एवं भूमि अध्याप्ति अधिकारी (आवास) कलेक्टर कानपुर द्वारा प्रेषित संशोधित एवार्ड दिनांक 13.12.1996 के अनुसार है। विजय बहादुर सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय जो अपर जिला जज, कानपुर नगर, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार एवं १०डी०एम० एल०ए० (आवास) के एवार्ड के अनुसार डिकी है। न्यायालय द्वारा उसके वाद में जो डिकी नहीं है वह उसके वाद में लागू होगी। आराजी

[7]

संख्या-200 रकवा-7 विरवा, आराजी संख्या-289 रकवा 2 बीघा 7 विरवा में से अरुण पाण्डेय का 6 विरवा व मनोरमा देवी का 11 विरवा 10 विरवांसी है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिगृहीत करके कब्जा लेकर उस पर रोड व मकान बनाकर बेच दी गयी है। उक्त आराजी को किसान के द्वारा बेची नहीं गयी है और न ही किसान जा कब्जा है। ऋणी द्वारा रिफरेन्स वाद के तौरान इस तरह की कभी भी कोई अपत्ति नहीं की गयी है। आवास विकास परिषद द्वारा कब्जा लेकर ही एस०एल०ओ० द्वारा भुगतान किया गया है। ऋणी का यह कहना है कि उक्त आराजी का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को नहीं भिला है, गलत असत्य है। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, कानपुर द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 10.10.2019 को उक्त बिन्दु पर प्रश्न किया गया था जिसका निर्णय/आदेश डिकीदार के पक्ष में हुआ। डिकीदार की भूमि अर्जित होने के बाद प्रथम एवार्ड के विरुद्ध कुछ किसान माननीय उच्च न्यायालय गये थे जिनमें उनकी अपील खारिज हो गयी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस०एल०पी० संख्या-11697, 11398, 11699 सन् 1984 दाखिल की गयी जिसमें एस०एल०पी० खारिज हुयी लेकिन जो किसान माननीय उच्चतम न्यायालय में भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 की धारा-6 जो सन् 1980 में प्रकाशित हुयी थी, की बाजारी कीमत देने के लिये आदेशित किया गया लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश में धारा-4 जो सन् 1973 में प्रकाशित हुआ उसको खत्म नहीं किया है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने भी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुये संशोधित एवार्ड दिनांक 13.12.1996 घोषित किया जिसमें धारा-4 की तिथि 17.02.1973 एवं धारा-6 की तिथि 27.02.1980 दर्शायी गयी है। डिकीदार ने इस एवार्ड के द्वारा प्राप्त मुआयना के विरुद्ध धारा-18 का रिफरेन्स वाद दाखिल किया जो दिनांक 10.03.2016 को निर्णीत हुआ जो एवार्ड के दी गयी धारा-4 व धारा-6 की तिथियों के अनुसार निर्णीत हुआ है, जो सही है। ऋणी उक्त आदेश के बावजूद उसी निर्णीत प्रश्न को धारा-47 के द्वारा पुनः कर रहा है जो विधिक रूप से गलत है। जब एक बिन्दु पर निर्णय दिया जा चुका है। उसी को पुनः निर्णय नहीं किया जा सकता जो रेसज्यूडीकेटा के अन्तर्गत मान्य नहीं है। ऋणी ने 10.03.2019 के प्रार्थनापत्र में कहा था कि वह माननीय उच्च न्यायालय में रियू के लिये जाना चाहता है वह नहीं गया और धारा-47 पर पुनः उसी बिन्दु को लेकर समय बर्बाद कर रहा है और डिकीदार का डिकीधन भुगतान नहीं कर रहा है इससे उसकी मनोप्रवृत्ति साफ पता चल रही है कि ऋणी डिकीधन जमा

करने में हीलाहवाली व समय बर्वाद कर रहा है। अतः निवेदन किया गया कि ऋणी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता सव्यय निरस्त करने की कृपा की जाय।

आवेदक/निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर एवं डिकीदार सोमेश्वर के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दाखिल लिखित वहसं एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिकीदार सोमेश्वर द्वारा सन् 1998 में भू सन्दर्भ वाद संख्या-135/70/1998 सोमेश्वर दयाल बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद आदि दाखिल किया गया था जिसमें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर गुणदोष के आधार पर दिनांक 10.03.2016 को इस न्यायालय द्वारा डिकीदार का उपरोक्त भू सन्दर्भ वाद निर्णीत एवं आज्ञापत किया गया था जिसके विरुद्ध निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष अपील दाखिल किया गया था। जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जाय चुका है।

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांकित 10.03.2016 के अनुपालन में डिकीदार द्वारा निष्पादन वाद संख्या-3/2016 सोमेश्वर बनाम स्टेट आदि दिनांक 22.10.2016 को दाखिल किया गया था। जिसमें निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा बार-बार स्थगन आवेदन प्रस्तुत करने निवेदन किया गया था कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी के विरुद्ध निर्णीतऋणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रथम अपील दाखिल की गयी है तथा स्थगनादेश प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ऐसी स्थिति में एक माह एवं दो माह का समय प्रदान किया जाय जिसे स्वीकार करके इस न्यायालय द्वारा निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके इस न्यायालय के समक्ष कोई स्थगनादेश दाखिल नहीं किया गया एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निर्णीत ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा दाखिल प्रथम अपील को गुणदोष के आधार पर निरस्त कर दिया गया। तदुपरान्त निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद

[9]

कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा इस न्यायालय के समक्ष बार-बार स्थगन आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि डिकीधन जमा करने के लिये एक माह वाद की तिथि नियत करने की कृपा किया जाय जिसे स्वीकार करते हुये अनेक तिथियों पर निर्णीतऋणी को डिकी धनराशि जमा करने हेतु अनेक अवसर दिये गये तथा दिनांक 27.09.2019 को यह आदेश पारित किया गया कि नियत तिथि के पूर्व डिकी धनराशि अवश्य जमा किया जाय परन्तु निर्णीतऋणी द्वारा डिकी धनराशि जमा नहीं किया गया। ऐसा स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास विकास विभिन्न कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशासी अभियन्ता आदि को नोटिस जारी किया गया जिन्होंने न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर स्थगन आवेदन 22ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि कार्यालय द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि मूल वाद उपरोक्त में पारित निर्णय के अन्मा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0-13353/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय वहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.1998 को बहाल रखा गया है, के अनुसार इजरा वाद हाजा में प्रश्नगत मूल वाद के निर्णय को पारित करने के साथ ही उसके विपरीत निर्णीत प्रतिकर 72 रूपये प्रति वर्गगज व उसका 30 प्रतिशत सोलेशियम के साथ 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि को प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक के स्थान पर जो वर्ष 1980 से दिया जाना निर्णीत था, के विपरीत प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक वर्ष 1973 से दिलाये जाने के साथ उक्त विजय वहादुर सिंह के निर्णय के विपरीत 30 प्रतिशत सोलेशियम व 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि दोनों मदों की धनराशि पर व्याज दिये जाने के आदेश दिये जाने का निर्णयादेश पारित किया गया तथा जिसके कारण ही उक्त मूल सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गयी थी तथा उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0-13553/2015 में पारित आदेश दिनांकित 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय वहादुर बनाम उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय बरकरार रखा गया है, के विपरीत निर्णय को निरस्त करने की अभ्यर्थना की गयी, जिसकी बावत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील को निरस्त करने पर कोई अवधारणा व विनिश्चय स्पष्ट नहीं होने की चूक हुयी जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त करने में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त एस0एल0पी0-13553/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 के आधार को उचित

मान करके निस्तारण किया गया जिसके कारण परिषद के वृत्त कार्यालय से परीक्षणोपरान्त मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में माननीय उच्च न्यायालय में रियू दाखिल किया जाना है अतः प्रार्थी निर्णीत ऋणी संख्या-2 को माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा दाखिल उपरोक्त स्थगन प्रार्थनापत्र 22ग पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 22ग दिनांक 17.10.2019 को निरस्त करते हुये यह आदेश पारित किया गया कि निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो दाखिल करें अन्यथा डिक्टी धनराशि का भुगतान करें। तदपरान्त निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुनः उन्हीं आधारों पर प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत निर्णय एवं आज्ञापि दिनांकित 10.03.2016 धारा 23(1)ए में जो बाजारी कीमत 1980 की निर्धारित करने के बाद उसके अतिरिक्त जो बाजारी कीमत 72/-रुपये प्रतिवर्गज का 12 प्रतिशत वार्षिक दिनांक 17.02.1973 से 26.02.2980 तक का अतिरिक्त धन दिलया गया है। वह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संपादित अवधारणा के विपरीत होने के साथ ही भूमि अर्जन अधिनियम 1984 यथा संशोधित 1984 के धारा-23(1)ए के प्राविधानों का भी उल्लंघन है जिसको दिलाये जाने का कोई वैधानिक क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित नहीं है और जिसके कारण इजरा वाद हाजा में प्रस्तुत मूल सन्दर्भ उपरोक्त का पारित निर्णय आज्ञापि निष्पादन योग्य नहीं बल्कि निरस्त करने योग्य है। निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा अपने कथन के समर्थन में सिविल अपील संख्या-2006/1968 सुन्दर दास बनाम राम प्रकाश 1977 O ए0आई0आर0 (एस0सी0) 1201, प्रथम अपील संख्या-17/1961 राव भूपेन्द्र सिंह बनाम गोपाल कुमार उमथ 1970 O ए0आई0आर0 (एम0पी0) 91, सिविल अपील संख्या-965/1981 गौरी शंकर गौड़ और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 1994 O ए0आई0आर0 (एस0सी0) 169 की सम्मानित विधि व्यवस्था प्रस्तुत किया है परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा अपने आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया

[11]

संहिता में उल्लिखित आधारों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जमक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है जिस पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा गुणदोष के आधार पर निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर नगर द्वारा प्रार्थनापत्र 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता मात्र डिकी धनराशि के भुगतान को विलम्बित करने के आशय से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है ऐसी रिति में निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानुपर नगर द्वारा प्रस्तुत आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है। तदनुसार यह प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

19/4/2019
(रमेश चन्द्र-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट,
कानपुर नगर।

20/11/14

20/11/19

प्रतिनिधि आदेश दिनांक 19.11.2019
अन्तर्गत धारा-47 संविल प्रक्रिया
संहिता।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एकट, कानपुर नगर।

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या-1548 / 74 सन् 2019

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम अरुण कुमार आदि

विरुद्ध इजरा संख्या-5/16

19.11.2019:-

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। आवेदक उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रार्थनापत्र-3ग अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया गया है कि आपत्तिकर्ता विषेषकी संख्या-2 इजराय वाद उपरोक्त में प्रश्नगत मूल सन्दर्भ वाद-137/70 सन् 1998 अरुण कुमार आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित निर्णय/डिकी दिनांक 10.03.2016 के विरुद्ध आपत्ति में कथन करता है कि आपत्तिकर्ता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसे एतदपश्चात् परिषद कहा गया है, का अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड-17 योजना संख्या-1 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्प्लेक्स कल्यानपुर कानपुर नगर का है तथा इजरा वाद उपरोक्त में प्रार्थनापत्र, शपथपत्र, आपत्तिपत्र, प्रतिशपथपत्र आदि हस्ताक्षरित, सत्यापित व प्रस्तुत करने हेतु सक्षम व उत्तरदायी है। आज्ञाप्तिधारक द्वारा प्रस्तुत इजरा वाद हाजा-5/2016 के मूल वाद-137/70/1998 में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 में समाहित भूमि का अर्जन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समकक्ष है, के प्रकाशन की तारीख दिनांक 17.02.1973 तथा धारा-6 जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समकक्ष है, में प्रस्तुत इजरा वाद के प्रकाशन दिनांक 27.02.1980 के द्वारा किया गया था। उक्त अर्जन से क्षुब्ध कुछ भू-स्वामियों द्वारा अर्जन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या-10965 सन् 1982 प्रस्तुत की गयी थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.1984 को खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप भूरवामियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस०एल०पी०सी.-11697/1984 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि भू स्वामियों के धारा-6 की विज्ञप्ति के प्रकाशन की समय वर्ष 1980 की वाजारु दर से प्रतिकर का निर्धारण किये जाने के आदेश पारित किये गये थे जिसके अनुपालन में विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी द्वारा दिनांक 13.12.1996 को संशोधित अभिनिर्णय घोषित किया गया। आज्ञाप्ति धारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रस्तुत प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 न्यायालय द्वारा

अनुतोष देने व आदेश पारित करने हेतु रवयं में निहित अधिकार एवं निहित क्षेत्राधिकार के अभाव में पारित होने के कारण प्रारम्भ से ही विधिक दृष्टि से विधिविरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है बल्कि निरस्त किये जाने योग्य है। आज्ञाप्ति धारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रस्तुत आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरीशंकर गौर एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 जो ए0आई0आर0 एस0री0 1994 पेज 169 प्रकाशित है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-4 जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है, की विज्ञप्ति को एवं भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-6 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, के प्रकाशन के वर्ष को जारी होना माने जाने की उपधारणा की गयी एवं उसके आधार पर अन्य सन्दर्भ वादों-161/70 सन् 1992, 161/70 सन् 1992, 161/70 सन् 1992 कमशः राजाराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व श्री कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व चन्द्रपाल सिंह मृतक बादहू विजय बहादुर आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि, तीनों एकीकृत वादों में पारित निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 28.05.1998 के विपरीत एवं उनकी दृष्टिपेक्षा होने की चूक करके पारित है जो विधिक दृष्टि से प्रारम्भ से ही नल्टी, अकृत, निष्प्रभावी व शून्य होने के कारण न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है।

आज्ञाप्तिधारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 में न्यायालय द्वारा निम्नवत् पारित है "याचीगण के भू-सन्दर्भवाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 में पारित आदेश दिनांक नवम्बर-1/6,2015 के अनुपालन में याचीगण 1980 से प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में 72/-रुपये प्रतिवर्गगज की दर से बाजार कीमत पाने के अधिकारी होंगे। इनके अलावा उक्त बाजार कीमत की धनराशि पर 30 प्रतिशत सोलेसियम भी पाने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा याचीगण उक्त बाजारी कीमत का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन प्रथम प्रकाशन की तिथि 17.02.1973 से कब्जे की तिथि 04.01.1985 तक पाने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा याचीगण इन सभी चढ़ी हुयी एक्सेस प्रतिकर धनराशि पर कब्जे की तिथि 04.01.1985 से प्रथम वर्ष के लिये यानी 03.01.1985 तक 9 प्रतिशत व्याज एवं उसके बाद से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज भी पाने के अधिकारी होंगे। एस0एल0ए0 ओ0 द्वारा पूर्व में इस सम्बन्ध में याचीगण को प्रदान की गयी धनराशि यदि कोई है इस प्रतिकर धनराशि में समायोजित की जायेगी। तदनुसार भूमि अध्याप्ति अधिकारी कानपुर

2/3

[3]

नगर के कार्यालय द्वारा गणना चार्ट तैयार किया जाये। इस सन्दर्भ की एक-एक प्रति सम्बन्धित भू-सन्दर्भ वादों की पत्रावलियों में भी रखी जावे।" माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 में पारित आदेश दिनांक नवम्बर 6, 2015 जो अन्य सन्दर्भ वाद-161/70 सन् 1992 राजाराम सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0राज्य के निर्णय दिनांक 28. 05.1998 के विरुद्ध आवास विकास परिषद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल प्रथम अपील संख्या-552/1998 उ0प्र0 आवास विकास परिषद बनाम राजाराम सिंह एवं अन्य के निरस्त किये जाने के निर्णय दिनांक 10.12.2014 के विरुद्ध आवास विकास परिषद निर्णीतशृणी संख्या-2 द्वारा पिटीशन्त फारं स्पेशल लीब टू अपील सी नम्बर-15553/2015 माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त एवं जिसके अनुपालन में अन्य तीन एकीजूत सन्दर्भ वाद-161/70 सन् 1992, 162/70 सन् 1992, 163/70 सन् 1992 कमशः राजाराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व श्री कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व चन्द्रपाल सिंह मृतक यादू विजय वहादुर आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि, जिनके लीडिंग केरा सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 उपरोक्त में पारित निर्णय डिकी दिनांक 28.05.1998 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरी शंकर एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 जो ए0आई0आर0 एस0सी0 1994 पैज 169 प्रकाशित है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-4 की विज्ञप्ति को धारा-6 की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि/वर्ष को माने जाने की उपधारणा के आधार पर 72/-वहत्तर रूपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारी मूल्य अन्तर्गत धारा-23(1) व उसका 30 प्रतिशत सोलेशियम अन्तर्गत धारा-23(2) व बाजारी कीमत का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन अन्तर्गत धारा 23(1)ए धारा-6 की नोटिफिकेशन की तिथि 21.10.1982 तक एवं कब्जा की तिथि से एक वर्ष की अवधि का 9 प्रतिशत एवं उसके बाद भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज न्यायालय द्वारा वृद्धि किये गये प्रतिकर बाजारी मूल्य पर दिये जाने तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन व सोलेशियम पर व्याज नहीं दिये जाने हेतु निर्णीत एवं आज्ञाप्त थे, यथावत यहाल हुये और तदनुसार ही इजराए वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति में न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 नम्बर 15553/2015 में पारित आदेश दिनांक नवम्बर 6, 2015 के अनुपालन में याचीगण को 1980 से प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में 72/-रूपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारी कीमत पाने के अधिकारी होना कथित किया गया परन्तु उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय

की अवधारित उक्त उपधारणा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है जो धारा-6 की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि/वर्ष जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, को माने जाने के विपरीत निर्णय दिनांक 10.03.2013 में इसके अलावा याचीगण उक्त बाजारी कीमत की धनराशि का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन वर्ष 1980 (27.02.1980) से कब्जे को तिथि 04.01.1985 तक दिये जाने के स्थान पर प्रथम नोटिफिकेशन की तिथि 17.02.1973 से कब्जे की तिथि 04.01.1985 तक दिये जाने तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन व सोलेसियम पर व्याज दिये जाने का आदेश पारित किया गया जो विधिक दृष्टि से प्रारम्भ से ही नल्टी, अकृत, निष्ठ्रभावी व शून्य होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है बल्कि न्यायहित में निरस्त करने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है, को धारा-6 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, की तिथि 17.02.1973 को धारा 6 के विज्ञप्ति दिनांक 27.02.1980 के प्रकाशन के वर्ष जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, में जारी होने की, की गयी उपधारणा के आधार पर धारा-6 के प्रकाशन की तिथि के पूर्व की अवधि का वर्ष 1980 की बाजारी कीमत के अनुसार वृद्धि की गयी धनराशि का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन अन्तर्गत धारा-23(1)ए जो इजरा वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति में दिनांक 17.02.1973 से 26.02.1980 की अवधि का भी अधिकारातीत रूप से भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-23(1)ए के विहित विधिक प्राविधान के विपरीत दिलाया गया है जिसके कारण वह त्रुटिपूर्ण होने के साथ उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित उक्त विधिक उपधारणा के विरुद्ध है। परिणामतः न्यायालय द्वारा मूल वाद उपरोक्त में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2016 निहित क्षेत्राधिकार के अभाव में चूकवश पारित हुआ है तथा जिसके कारण इजराय वाद हाजा में न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। आज्ञाप्ति धारक द्वारा प्रत्युत इजराय वाद में प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-4 के प्रकाशन की तिथि को धारा-6 के विज्ञप्ति के प्रकाश के वर्ष में जारी होने की गयी अवधारणा की विद्यमानता में भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-23 (1) ए के विहित विधिक प्राविधानों के विपरीत व उसके असंगत होने व सम्बद्ध रूप से धारा-23 (1) के तहत वृद्धि की गयी बाजारी

[5]

कीमत की धनराशि के 12 प्रतिशत की दर से दिनांक 17.02.1973 से 26.02.1980 की अवधि का अतिरिक्त धन आज्ञाप्रिधारक को दिलाये जाने का न्यायालय द्वारा चूकवश आदेश परित हुआ है जिसको पारित करने का विधितः कोई औचित्य, आधार व क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण इजराय वाद हाजा में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आज्ञाप्रिधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्रिधिक दिनांक 10.03.2016 में समाहित आज्ञाप्रिधारक के स्वामित्व की जिन भूमि आराजी नम्बरों का प्रतिकर निर्धारण किया गया है उनमें से आराजी खसरा नम्बर 289 रकवा 2 वीघा 7 विस्वा 0 विस्वांसी दोनों का आपत्तिकर्ता निर्णीतऋणी संख्या-2 परिषद को कब्जा दखल अद्यतन प्राप्त नहीं होने के कारण प्रतिकर भुगतान नहीं किया जाना है जिसके कारण इजराय वाद हाजा में न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय, आज्ञाप्रिधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। आज्ञाप्रिधारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रस्तुत निर्णय आज्ञाप्रिधिक दिनांक 10.03.2016 को सन्दर्भ न्यायालय द्वारा आज्ञाप्रिधारक के द्वारा मूल वाद में दाखिल विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा पारित एवार्ड दिनांक 13.12.1996 का वर्णन व अनुकरण किया गया है जबकि यह एवार्ड दिनांक 13.12.1996 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरीशंकर एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी० एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधनियम 1894 की धारा-4 की विज्ञाप्ति को धारा-६ की विज्ञाप्ति के प्रकाशन की तिथि/वर्ष को माने जाने की उपधारणा के विपरीत व उसका उल्लंघन कर घोषित है तथा जिसको सन्दर्भ वाद संख्या-161/70 सन् 1992 राजाराम सिंह बनाम उ०प्र० राज्य आदि जो तीन सन्दर्भ वादों का लीडिंग के केस हैं जो निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा पिटीशन्स फार स्प्रेशल लीव टू अपील सी नम्बर 15553/2015 माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त होने के वाद सन्दर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्टी दिनांक 28.05.1998 का न्याय निर्णयन करने में अंगीकार नहीं किया गया है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गौरी शंकर एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी० एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 में अवधारित उक्त उपधारणा के विपरीत होकर कोई निर्णय आदेश पारित करने अथवा अभिनिर्णय घोषित करने का वैधानिक औचित्य नहीं है जिसके कारण इजराय वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्रिधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध व शून्य होने के कारण निष्पादन योग्य नहीं है।

उक्त तथ्यों के आधार पर आपत्तिकर्ता निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार करके इजराय वाद हाजा में पारित प्रश्नगत आज्ञाप्तिधारक द्वारा प्रस्तुत मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त में पारित निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 निष्पादन योग्य न होने के कारण निरस्त किये जाने की कृपा की जाय।

विष्की/डिकीदार अरुण कुमार द्वारा आपत्ति 11ग2 प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि न्यायालय को रिफरेन्स वाद का निर्णय करने का अधिकार एवं उनका क्षेत्राधिकार पूर्ण रूप से एवं विधिक दृष्टि से प्राप्त है। विजय बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्णय दिनांक 28.05.1998 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 75/-रूपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारी कीमत निर्धारित की गयी है। उसी बाजारी कीमत 75/-रूपये प्रति वर्गगज की दर से न्यायालय ने इसके रिफरेन्स वाद में निर्धारित किया है। न्यायालय का आदेश/निर्णय दिनांकित 10.03.2016 विधिक दृष्टि से सही है। न्यायालय ने बाजारी कीमत 722-रूपये प्रति वर्गगज निर्धारित की जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विजय बहादुर सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में निर्धारित की गयी है। अन्य सभी लाभ धारा-23(1-ए), 23(2) एवं धारा-28 भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 एवं भूमि अध्याप्ति अधिकारी (आवास) कलेक्टर कानपुर द्वारा प्रेषित संशोधित एवार्ड दिनांक 13. 12.1996 के अनुसार है। विजय बहादुर सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय जो अपर जिला जंज, कानपुर नगर, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार एवं ए०डी०ए०० एल०ए० (आवास) के एवार्ड के अनुसार डिकी है। न्यायालय द्वारा उसके वाद में जो डिकी नहीं है वह उसके वाद में लागू होगी। आराजी संख्या-200 रक्बा-७ बिस्वा, आराजी संख्या-289 रक्बा 2 बीघा 7 बिस्वा में से अरुण पाण्डेय का 6 बिस्वा व मनोरमा देवी का 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिगृहीत करके कब्जा लेकर उस पर रोड व मकान बनाकर बेच दी गयी है। उक्त आराजी को किसान के द्वारा बेची नहीं गयी है और न ही किसान का कब्जा है। ऋणी द्वारा रिफरेन्स वाद के दौरान इस तरह की कभी भी कोई आपत्ति नहीं की गयी है। आवास विकास परिषद द्वारा कब्जा लेकर ही एस०एल०ओ० द्वारा भुगतान किया गया है। ऋणी का यह कहना है कि उक्त आराजी का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को नहीं मिला है, गलत असत्य है। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, कानपुर द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 10.10.2019 को उक्त बिन्दु पर

21
15

[7]

प्रश्न किया गया था जिसका निर्णय/आदेश डिकीदार के पक्ष में हुआ। डिकीदार की भूमि अर्जित होने के बाद प्रथम एवार्ड के विरुद्ध कुछ किसान माननीय उच्च न्यायालय गये थे जिनमें उनकी अपील खारिज हो गयी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस०एल०पी० संख्या-11697, 11698, 11699 सन् 1984 दाखिल की गयी जिसमें एस०एल०पी० खारिज हुयी लेकिन जो किसान माननीय उच्चतम न्यायालय में भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 की धारा-6 जो सन् 1980 में प्रकाशित हुयी थी, की बाजारी कीमत देने के लिये आदेशित किया गया लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश में धारा-4 जो सन् 1973 में प्रकाशित हुआ उसको खत्म नहीं किया है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने भी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुये संशोधित एवार्ड दिनांक 13.12.1996 घोषित किया जिसमें धारा-4 की तिथि 17.02.1973 एवं धारा-6 की तिथि 27.02.1980 दर्शायी गयी है। डिकीदार ने इस एवार्ड के द्वारा प्राप्त मुआयना के विरुद्ध धारा-18 का रिफरेन्स बाद दाखिल किया जो दिनांक 10.03.2016 को निर्णीत हुआ जो एवार्ड के दी गयीं धारा-4 व धारा-6 की तिथियों के अनुसार निर्णीत हुआ है, जो सही है। ऋणी उक्त आदेश के बावजूद उसी निर्णीत प्रश्न को धारा-47 के द्वारा पुनः कर रहा है जो विधिक रूप से गलत है। जब एक बिन्दु पर निर्णय दिया जा चुका है। उसी को पुनः निर्णय नहीं किया जा सकता जो रेसज्यूडीकेटा के अन्तर्गत मान्य नहीं है। ऋणी ने 10.03.2019 के प्रार्थनापत्र में कहा था कि वह माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू के लिये जाना चाहता है वह नहीं गया और धारा-47 पर पुनः उसी बिन्दु को लेकर समय बर्बाद कर रहा है और डिकीदार का डिकीधन भुगतान नहीं कर रहा है इससे उसकी मनोप्रवृत्ति साफ पता चल रही है कि ऋणी डिकीधन जमा करने में हीलाहवाली व समय बर्बाद कर रहा है। अतः निवेदन किया गया कि ऋणी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता सव्यय निरस्त करने की कृपा की जाय।

आवेदक, निर्णीत ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर एवं डिकीदार अरुण कुमार आदि के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उभयपक्ष के पिद्वान अधिवक्तागण द्वारा दाखिल लिखित वहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिकीदार अरुण कुमार द्वारा सन् 1998 में भू सन्दर्भ बाद संख्या-137/70/1998 अरुण कुमार आदि बनाए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद आदि दाखिल किया गया था। पिसमें इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण

को सुनकर गुणदोष के आधार पर दिनांक 10.03.2016 को डिकीदार का उपरोक्त भू सन्दर्भ वाद निर्णीत एवं आज्ञाप्त किया गया था जिसके विरुद्ध निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष अपील दाखिल किया गया था। जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है।

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांकित 10.03.2016 के अनुपालन में डिकीदार द्वारा निष्णादन वाद संख्या-5/2016 अरुण कुमार बनाम स्टेट आदि दिनांक 22.10.2016 को दाखिल किया गया था। जिसमें निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा बार-बार स्थगन आवेदन प्रस्तुत करने निवेदन किया गया था कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी के विरुद्ध निर्णीतऋणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रथम अपील दाखिल की गयी है तथा स्थगनादेश प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ऐसी स्थिति में एक माह एवं दो माह का समय प्रदान किया जाय जिसे स्वीकार करके इस न्यायालय द्वारा निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके इस न्यायालय के समक्ष कोई स्थगनादेश दाखिल नहीं किया गया एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा दाखिल प्रथम अपील को गुणदोष के आधार पर निरस्त कर दिया गया। तदुपरान्त निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा इस न्यायालय के समक्ष बार-बार स्थगन आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि डिकीधन जमा करने के लिये एक माह बाद की तिथि नियत करने की कृपा किया जाय जिसे स्वीकार करते हुये अनेक तिथियों पर निर्णीतऋणी को डिकी धनराशि जमा करने हेतु अनेक अवसर दिये गये तथा दिनांक 27.09.2019 को यह आदेश पारित किया गया कि नियत तिथि के पूर्द डिकी धनराशि अवश्य दमा किया जाय परन्तु निर्णीतऋणी द्वारा डिकी धनराशि जमा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशासी अभियन्ता आदि को नोटिस जारी किया गया जिन्होंने न्यायालय के समक्ष उपरिथित आकर स्थगन आवेदन 24 ग्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि कार्यालय द्वारा समीक्षापरान्त पाया गया कि मूल वाद



2/1/2023

[9]

उपरोक्त में पारित निर्णय के अन्श माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0-13353 / 2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161 / 70 / 1992 विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.1998 को बहाल रखा गया है, के अनुसार इजरा वाद हाजा में प्रश्नगत मूल वाद के निर्णय को पारित करने के साथ ही उसके विपरीत निर्णीत प्रतिकर 72 रूपये प्रति वर्गगज व उसका 30 प्रतिशत सोलेशियम के साथ 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि को प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक के स्थान पर जो वर्ष 1980 से दिया जाना निर्णीत था, के विपरीत प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक वर्ष 1973 से दिलाये जाने के साथ उक्त विजय बहादुर सिंह के निर्णय के विपरीत 30 प्रतिशत सोलेशियम व 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि दोनों मदों की धनराशि पर व्याज 30 प्रतिशत सोलेशियम व 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि दोनों मदों की धनराशि पर व्याज दिये जाने के आदेश दिये जाने का निर्णयादेश पारित किया गया तथा जिसके कारण ही उक्त मूँज सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गयी थी तथा न्यसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0-13553 / 2015 में पारित आदेश दिनांकित 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161 / 70 / 1992 विजय बहादुर बनाम उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय बरकरार रखा गया है, के विपरीत निर्णय को निरस्त करने की अभ्यर्थना की गयी, जिसकी बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील को निरस्त करने पर लोई अवधारणा व विनिश्चय रूप्त नहीं होने की घूक हुयी जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त करने में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त एस0एल0पी0-13553 / 2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 के आधार को उचित मान करके निस्तारण किया गया जिसके कारण परिषद के वृत्त कार्यालय से परीक्षणोपरान्त मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में माननीय उच्च न्यायालय में रियू दाखिल किया जाना है अतः प्रार्थी निर्णीत ऋणी संख्या-2 को माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा दाखिल उपरोक्त स्थगन प्रार्थनापत्र 24ग पर उभयंपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 24ग दिनांक 17.10.2019 के निरस्त करते हुये यह आदेश पारित किया गया कि निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास

विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो दाखिल करें अन्यथा डिक्टी धनराशि का भुगतान करें। तदुपरान्त निर्णीतक्रृणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुनः उन्हीं आधारों पर प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांकित 10.03.2016 धारा 23(1)ए में जो बाजारी कीमत 1980 की निर्धारित करने के बाद उसके अतिरिक्त जो बाजारी कीमत 72/- रूपये प्रतिवर्गगज का 12 प्रतिशत वार्षिक दिनांक 17.02.1973 से 26.02.1980 तक का अतिरिक्त धन दिलया गया है। वह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपधारित अवधारणा के विपरीत होने के साथ ही भूमि अर्जन अधिनियम 1984 यथा संशोधित 1984 के धारा-23(1)ए के प्राविधानों का भी उल्लंघन है जिसको दिलाये जाने का कोई वैधानिक क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित नहीं है और जिसके कारण इजरा वाद हाजा में प्रस्तुत मूल सन्दर्भ उपरोक्त का पारित निर्णय व आज्ञाप्ति निष्पादन योग्य नहीं बल्कि निरस्त करने योग्य है। निर्णीतक्रृणी संख्या-2 द्वारा अपने कथन के समर्थन में सिविल अपील संख्या-2006/1968 सुन्दर दास बनाम राम प्रकाश 1977 0 ए0आई0आर0 (एस0सी0) 1201, प्रथम अपील संख्या-17/1961 राव भूपेन्द्र सिंह बनाम गोपाल कुमार उमथ 1970 0 ए0आई0आर0 (एम0पी0) 91, सिविल अपील संख्या-965/1981 गौरी शंकर गौड़ और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 1994 0 ए0आई0आर0 (एस0सी0) 169 की सम्मानित विधि व्यवस्था प्रस्तुत किया है परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निर्णीतक्रृणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा अपने आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित आधारों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है जिस पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा गुणदोष के आधार पर निर्णीतक्रृणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतक्रृणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर नगर द्वारा प्रार्थनापत्र 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया राइटा मात्र डिक्टी धनराशि के भुगतान को विलग्नित करने के आशय से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है ऐसी स्थिति में निर्णीतक्रृणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा

[11]

प्रस्तुत आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतक्रमी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है। तदनुसार यह प्रकीर्ण वाद निरस्तारित किया जाता है।

19/11/2019
 (रमेश चन्द्र-प्रथम)
 विशेष न्यायाधीश (एस०सी० / एस०टी०एक्ट,
 कानपुर नगर।

Ram Chandra
 20/11/19

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, कानपुर नगर।

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या-1549 / 74 सन 2019

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम राम भरोसे आदि

प्रतीक्षा प्रार्थना दिनांक १९.११.२०१९

अन्तर्गत धारा-४७ सी.पी.सी.

विरुद्ध इजरा संख्या- ४/२०१६

19.11.2019:-

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार अपने विद्वान अधिवक्ता सहित उपरिथत हैं। आवेदक उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रार्थनापत्र-उग अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया गया है कि आपत्तिकर्ता विपक्षी संख्या-2 इजराय वाद उपरोक्त में प्रश्नगत मूल सन्दर्भ वाद 136/70 सन 1998 राम भरोसे सम्प्रति मृतक बादहू विधिक उत्तराधिकारी श्रीमती प्रेमा देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित निर्णय/डिकी दिनांक 10.03.2016 के विरुद्ध आपत्ति में कथन करता है कि आपत्तिकर्ता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसे एतदपश्चात् परिषद कहा गया है, का अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-17 योजना संख्या-1 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ऑफिस काम्प्लेक्स कल्यानपुर कानपुर नगर का है तथा इजरा वाद उपरोक्त में प्रार्थनापत्र, शपथपत्र, आपत्तिपत्र, प्रतिशपथपत्र आदि हस्ताक्षरित, सत्यापित व प्रस्तुत करने हेतु सक्षम व उत्तरदायी है। आज्ञापिताधारक द्वारा प्रस्तुत इजरा वाद हाजा 4/2016 के मूल वाद 136/70/1998 में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आज्ञापि दिनांक 10.03.2016 में समाहित भूमि का अर्जन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समकक्ष है, के प्रकाशन की तारीख दिनांक 17.02.1973 तथा धारा-6 जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समकक्ष है, में प्रस्तुत इजरा वाद के प्रकाशन दिनांक 27.02.1980 के द्वारा किया गया था। उक्त अर्जन से क्षुब्ध कुछ भू-स्वामियों द्वारा अर्जन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या-10965 सन 1982 प्रस्तुत की गयी थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.1984 को खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप भू-स्वामियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस०एल०पी० सी. 11697 / 1984 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि भू स्वामियों के धारा-6 की विज्ञप्ति के प्रकाशन की समय वर्ष 1980 की बाजारू दर से प्रतिकर का निर्धारण किये जाने के आदेश पारित किये गये थे जिसके अनुपालन में विशेष भूमि अध्यापि; अधिकारी द्वारा दिनांक 13.12.1996 को संशोधित अभिनिर्णय घोषित किया गया। आज्ञापि धारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रस्तुत प्रश्नगत निर्णय आज्ञापि दिनांक 10.03.2016 न्यायालय द्वारा अनुंतोष देने व आदेश पारित करने हेतु स्वयं में निहित अधिकार एवं निहित क्षेत्राधिकार के अभाव में पारित होने के कारण प्रारम्भ से

✓

ही विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है बल्कि निरस्त किये जाने योग्य है। आज्ञाप्ति धारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रस्तुत आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरीशंकर गौर एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 जो ए0आई0आर0 एस0सी0 1994 पेज 169 प्रकाशित है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-4 जो परिषद् अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है, की विज्ञप्ति को एवं भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-6 की विज्ञप्ति जो परिषद् अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, के प्रकाशन के वर्ष को जारी होना माने जाने की उपधारण की गयी एवं उसके आधार पर अन्य सन्दर्भ वादों-161/70 सन 1992, 161/70 सन 1992, 161/70 सन 1992 कमशः राजाराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व श्री कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व चन्द्रपाल सिंह मृतक बादहू विजय वहादुर आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि, तीनों एकीकृत वादों में पारित निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 28.05.1998 के विपरीत एवं उनकी दृष्टिपेक्षा होने की चूक करके पारित है जो विधिक दृष्टि से प्रारम्भ से ही नल्टी, अकृत, निष्प्रभावी व शून्य होने के कारण न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। आज्ञाप्तिधारक द्वारा इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 में न्यायालय द्वारा निम्नवत पारित है। “याचीगण के भू-सन्दर्भवाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 में पारित आदेश दिनांक नवम्बर 1/6,2015 के अनुपालन में याचीगण 1980 से प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में 72/-रुपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारु कीमत पाने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा उक्त बाजारु कीमत की धनराशि पर 30 प्रतिशत सोलेसियम भी पाने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा याचीगण उक्त बाजारी कीमत का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन प्रथम प्रकाशन की तिथि 17.02.1973 से कब्जे की तिथि 04.01.1985 तक पाने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा याचीगण इन सभी बढ़ी हुयी एक्सेस प्रतिकर धनराशि पर कब्जे की तिथि 04.01.1985 से प्रथम वर्ष के लिये यानी 03.01.1985 तक 9 प्रतिशत ब्याज एवं उसके बाद से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी पाने के अधिकारी होंगे। एस0एल0ए0 ओ0 द्वारा पूर्व में इस सम्बन्ध में याचीगण को प्रदान की गयी धनराशि यदि कोई है इस प्रतिकर धनराशि में समायोजित की जायेगी। तदनुसार भूमि अध्याप्ते अधिकारी कानपुर नगर के कार्यालय द्वारा गणना चार्ट तैयार किया जाये। इस सन्दर्भ की एक-एक प्रति सम्बन्धित भू-सन्दर्भ वादों की पत्रावलियों में भी रखी जावे।” माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 में पारित आदेश दिनांक नवम्बर 6, 2015 जो अन्य सन्दर्भ वाद 161/70 सन 1992

[3]

राजाराम सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0राज्य के निर्णय दिनांक 28.05.1998 के विरुद्ध आवास विकास परिषद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल प्रथम अपील संख्या-552/1998 उ0प्र0 आवास विकास परिषद बनाम राजाराम सिंह एवं अन्य के निरस्त किये जाने के निर्णय दिनांक 10.12.2014 के विरुद्ध आवास विकास परिषद निर्णीतिक्रणी संख्या-2 द्वारा पिटीशन्स फार स्पेशल लीब टू अपील सी नम्बर-15553/2015 माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त एवं जिसके अनुपालन में अन्य तीन एकीकृत सन्दर्भ वाद 161/70 सन 1992, 162/70 सन 1992, 163/70 सन 1992 कमशः राजाराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व श्री कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व चन्द्रपाल सिंह मृतक बादहू विजय बहादुर आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि, जिनके लीडिंग केस सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 उपरोक्त में पारित निर्णय डिकी दिनांक 28.05.1998 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरी शंकर एवं अन्य बनाम उ0प्र0राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 जो ए0आई0आर0 एस0सी0 1994 पेज 169 प्रकाशित है में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-4 की विज्ञप्ति को धारा-6 की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि/वर्ष को माने जाने की उपधारणा के आधार पर 72/- बहतर रूपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारी मूल्य अन्तर्गत धारा-23(1) व उसका 30 प्रतिशत सोलेशियम अन्तर्गत धारा-23(2) व बाजारी कीमत का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन अन्तर्गत धारा 23(1)ए धारा-6 की नोटिफिकेशन की तिथि 21.10.1982 तक एवं कब्जा की तिथि से एक वर्ष की अवधि का 9 प्रतिशत एवं उसके बाद भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज न्यायालय द्वारा बृद्धि किये गये प्रतिकर बाजारी मूल्य पर दिये जाने तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन व सोलेशियम पर ब्याज नहीं दिये जाने हेतु निर्णीत एवं आज्ञाप्त थे, यथावत बहाल हुये और तदनुसार ही इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति में न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 नम्बर 15553/2015 में पारित आदेश दिनांक नवम्बर 6, 2015 के अनुपालन में याचीगण को 1980 से प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में 72/-रूपये प्रति वर्गगज की दर से बाजारी कीमत पाने के अधिकारी होना कथित किया गया परन्तु उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय की अवधारित उक्त उपधारणा भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-4 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है, जो धारा-6 की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि/वर्ष जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, को माने जाने के विपरीत निर्णय दिनांक 10.03.2016 मे इसके अलावा याचीगण उक्त बाजारी कीमत की धनराशि का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन वर्ष 1980 (27.02.1980) से कब्जे की तिथि 04.01.1985 तक दिये जाने के

स्थान पर प्रथम नोटिफिकेशन की तिथि 17.02.1973 से कब्जे की तिथि 04.01.1985 तक दिये जाने तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन व सोलेसियम पर ब्याज दिये जाने का आदेश पारित किया गया जो विधिक दृष्टि से प्रारम्भ से ही नल्टी, अकृत, निष्प्रभावी व शून्य होने के कारण न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है बल्कि न्यायहित में निरस्त करने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के समतुल्य है, को धारा-6 की विज्ञप्ति जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, की तिथि 17.02.1973 को धारा 6 के विज्ञप्ति दिनांक 27.02.1980 के प्रकाशन के वर्ष जो परिषद अधिनियम 1965 की धारा-32 के समतुल्य है, में जारी होने की, की गयी उपधारणा के आधार पर धारा-6 के प्रकाशन की तिथि के पूर्व की अवधि का वर्ष 1980 की बाजारी कीमत के अनुसार बृद्धि की गयी धनराशि का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धन अन्तर्गत धारा-23(1)ए जो इजरा वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति में दिनांक 17.02.1973 से 26.02.1980 की अवधि का भी अधिकारातीत रूप से भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-23(1)ए के विहित विधिक प्राविधान के विपरीत दिलाया गया है जिसके कारण वह त्रुटिपूर्ण होने के साथ उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित उक्त विधिक उपधारणा के विरुद्ध है। परिणामतः न्यायालय द्वारा मूल वाद उपरोक्त में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2016 निहित क्षेत्राधिकार के अभाव में चूकवश पारित हुआ है तथा जिसके कारण इजराय वाद हाजा में न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। आज्ञाप्ति धारक द्वारा प्रस्तुत इजराय वाद में प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-4 के प्रकाशन की तिथि को धारा-6 के विज्ञप्ति के प्रकाश के वर्ष में जारी होने की गयी गयी अवधारणा की विद्यमानता में भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-23 (1) ए के विहित विधिक प्राविधानों के विपरीत व उसके असंगत होने व असम्बद्ध रूप से धारा-23 (1) के तहत बृद्धि की गयी बाजारी कीमत की धनराशि के 12 प्रतिशत की दर से दिनांक 17.02.1973 से 26.02.1980 की अवधि का अतिरिक्त धन आज्ञाप्तिधारक को दिलाये जाने का न्यायालय द्वारा चूकवश आदेश परित हुआ है जिसको पारित करने का विधितः कोई औचित्य, आधार व क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण इजराय वाद हाजा में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आज्ञाप्ति विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध नल्टी व शून्य होने के कारण निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं है। इजराय वाद हाजा में प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 को सन्दर्भ न्यायालय द्वारा आज्ञाप्तिधारक के द्वारा मूल वाद में दाखिल विशेष भूमि अध्याप्ति

[5]

अधिकारी द्वारा पारित एवार्ड दिनांक 13.12.1996 का वर्णन व अनुकरण किया गया है जबकि
 यह एवार्ड दिनांक 13.12.1996 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गौरीशंकर गौर एवं अन्य बनाम
 उत्तर प्रदेश राज्य में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1993 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा
 अवधारित भूमि अर्जन अधिनियम 1994 की धारा-4 की विज्ञाप्ति के धारा-6 की विज्ञाप्ति के
 प्रकाशन की तिथि/वर्ष का माने जाने की उपधारणा के विपरीत व उसका उल्लंघन कर घोषित
 है तथा जिनको सन्दर्भ वाद संख्या-161/70 सन् 1992 राजाराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
 आदि जो तीन सन्दर्भ वादों का लीडिंग के केस हैं जो निर्णीतक्रृती संख्या-2 द्वारा पिटीशन्स फार
 स्पेशल लीब टू अपील सी नम्बर 15553/2015 माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने पर
 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त होने के बाद सन्दर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिकी
 दिनांक 27.05.1998 का न्याय निर्णयन करने में अंगीकार नहीं किया गया है क्योंकि माननीय
 उच्चतम न्यायालय द्वारा गौरी शंकर एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं अन्य में पारित निर्णय
 दिनांक 12.08.1993 में अवधारित उक्त उपधारणा के विपरीत होकर कोई निर्णय आदेश पारित
 करने अथवा अभिनिर्णय घोषित करने का वैधानिक औचित्य नहीं है जिसके कारण इजराय वाद में
 न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय आज्ञाप्ति, विधिक दृष्टि से विधि विरुद्ध व शून्य होने के
 कारण निष्पादन योग्य नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर आपत्तिकर्ता निर्णीतक्रृती संख्या-2 द्व
 ारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपठित धारा-151 सिविल प्रक्रिया सहिता को स्वीकार
 करके इजराय वाद हाजा में पारित प्रश्नगत आज्ञाप्तिधारक द्वारा प्रस्तुत मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त
 में पारित निर्णय आज्ञाप्ति दिनांक 10.03.2016 निष्पादन योग्य न होने के कारण निरस्त किये जाने
 की कृपा की जाय।

विषयी/डिकीदार द्वारा आपत्ति 12ग2 प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि
 न्यायालय को रिफरेन्स वाद का निर्णय करने का अधिकार एवं उनका क्षेत्राधिकार पूर्ण रूप से एवं
 विधिक दृष्टि से प्राप्त है। विषय बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्णय
 दिनांक 28.05.1998 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 75/-रुपये प्रति वर्गज की दर से
 बाजारी कीमत निर्धारित की गयी है। उसी बाजारी कीमत 75/-रुपये प्रति वर्गज की दर से
 न्यायालय ने इसके रिफरेन्स वाद में निर्धारित किया है। न्यायालय का आदेश/निर्णय दिनांकित
 10.03.2016 विधिक दृष्टि से सही है। न्यायालय ने बाजारी कीमत 722-रुपये प्रति वर्गज
 निर्धारित की जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विजय बहादुर सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश
 सरकार में निर्धारित की गयी है। अन्य सभी लाभ धारा-23(1-ए), 23(2) एवं धारा-28 भूमि
 अध्याप्ति अधिनियम 1894 एवं भूमि अध्याप्ति अधिकारी (आवास) कलेक्टर कानपुर द्वारा प्रेपित

संशोधित एवार्ड दिनांक 13.12.1996 के अनुसार है। विजय बहादुर सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय जो अपर जिला जज, कानपुर नगर, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार एवं ए0डी0एम0 एल0ए0 (आवास) के एवार्ड के अनुसार डिकी है। न्यायालय द्वारा उसके वाद में जो डिकी नहीं है वह उसके वाद में लागू होगी। आरजी संख्या-200 रकवा-7 विस्वा, आरजी संख्या-289 रकवा 2 बीघा 7 विस्वा में से अरुण पाण्डेय का 6 विस्वा व मनोरमा देवी का 11 विस्वा 10 विस्वांसी है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिगृहीत करके कब्जा लेकर उस पर रोड व मकान बनाकर बेच दी गयी है। उक्त आरजी को किसान के द्वारा बेची नहीं गयी है और न ही किसान का कब्जा है। ऋणी द्वारा रिफरेन्स वाद के दौरान इस तरह की कभी भी कोई आपत्ति नहीं की गयी है। आवास विकास परिषद द्वारा कब्जा लेकर ही एस0एल0ओ0 द्वारा भुगतान किया गया है। ऋणी का यह कहना है कि उक्त अराजी का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को नहीं मिला है, गलत असत्य है। निर्णीकृत्रणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, कानपुर द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 10.10.2019 को उक्त बिन्दु पर प्रश्न किया गया था जिसका निर्णय/आदेश डिकीदार के पक्ष में हुआ। डिकीदार की भूमि अर्जित होने के बाद प्रथम एवार्ड के विरुद्ध कुछ किसान माननीय उच्च न्यायालय गये थे जिनमें उनकी अपील खारिज हो गयी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या-11697, 11698, 11699 सन् 1984 दाखिल की गयी जिसमें एस0एल0पी0 खारिज हुयी लेकिन जो किसान माननीय उच्चतम न्यायालय में भूमि अध्यापि अधिनियम 1894 की धारा-6 जो सन् 1980 में प्रकाशित हुयी थी, की बाजारी कीमत देने के लिये आदेशित किया गया लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश में धारा-4 जो सन् 1973 में प्रकाशित हुआ उसको खत्म नहीं किया है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने भी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुये संशोधित एवार्ड दिनांक 13.12.1996 घोषित किया जिसमें धारा-4 की तिथि 17.02.1973 एवं धारा-6 की तिथि 27.02.1980 दर्शायी गयी है। डिकीदार ने इस एवार्ड के द्वारा प्राप्त मुआयना के विरुद्ध धारा-18 का रिफरेन्स वाद दाखिल किया जो दिनांक 10.03.2016 को निर्णीत हुआ जो एवार्ड के दी गयी धारा-4 व धारा-6 की तिथियों के अनुसार निर्णीत हुआ है, जो सही है। ऋणी उक्त आदेश के बावजूद उसी निर्णीत प्रश्न को धारा-47 के द्वारा पुनः कर रहा है जो विधिक रूप से गलत है। जब एक बिन्दु पर निर्णय दिया जा चुका है। उसी को पुनः निर्णय नहीं किया जा सकता जो रेसज्यूडीकेटा के अन्तर्गत मान्य नहीं है। ऋणी ने 10.03.2019 के प्रार्थनापत्र में कहा था कि वह माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू के लिये जाना चाहता है वह नहीं गया

25

[7]

और धारा-47 पर पुनः उसी विन्दु को लेकर समय वर्वाद कर रहा है और डिकीदार का डिकीधन भुगतान नहीं कर रहा है इससे उसकी मनोप्रवृत्ति साफ पता चल रही है कि ऋणी डिकीधन जमा करने में हीलाहवाली व समय वर्वाद कर रहा है। अतः निवेदन किया गया कि ऋणी का धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थनापत्र सव्यय निरस्त करने की कृपा की जाय।

आवेदक /निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर एवं डिकीदार राम भरोसे के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिकीदार राम भरोसे द्वारा सन् 1998 में भू सन्दर्भ वाद संख्या-136/70/1998 राम भरोसे आदि बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद आदि दाखिल किया गया था जिसमें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर गुणदोष के आधार पर दिनांक 10.03.2016 को इस न्यायालय द्वारा डिकीदार राम भरोसे का उपरोक्त भू सन्दर्भ वाद निर्णीत एवं आज्ञापत किया गया था जिसके विरुद्ध निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष अपील दाखिल किया गया था। जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है।

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांकित 10.03.2016 के अनुपालन में डिकीदार द्वारा निष्पादन वाद संख्या-4/2016 राम भरोसे बनाम स्टेट आदि दिनांक 22. 10.2016 को दाखिल किया गया था। जिसमें निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा बार-बार स्थगन आवेदन प्रस्तुत करने निवेदन किया गया था कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी के विरुद्ध निर्णीतऋणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रथम अपील दाखिल की गयी है तथा स्थगनादेश प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ऐसी स्थिति में एक माह एवं दो माह का समय प्रदान किया जाय जिसे स्वीकार करके इस न्यायालय द्वारा निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु अनेक अवसर दिये गये परन्तु निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके इस न्यायालय के समक्ष कोई स्थगनादेश दाखिल नहीं किया गया एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निर्णीत ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा दाखिल प्रथम अपील को गुणदोष के आधार पर निरस्त कर दिया गया। तदुपरान्त निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा इस न्यायालय के समक्ष बार-बार स्थगन आवेदन प्रस्तुत

करके निवेदन किया गया कि डिकीधन जमा करने के लिये एक माह बाद की तिथि नियत करने की कृपा किया जाय जिसे स्वीकार करते हुये अनेक तिथियों पर निर्णीतऋणी को डिकी धनराशि जमा करने हेतु अनेक अवसर दिये गये तथा दिनांक 27.09.2019 को यह आदेश पारित किया गया कि नियत तिथि के पूर्व डिकी धनराशि अवश्य जमा किया जाय परन्तु निर्णीतऋणी द्वारा डिकी धनराशि जमा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशासी अभियन्ता आदि को नोटिस जारी किया गया जिन्होंने न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर स्थगन आवेदन 25ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि कार्यालय द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि मूल वाद उपरोक्त में पारित निर्णय के अन्श माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0-13353/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.1998 को बहाल रखा गया है, के अनुसार इजरा वाद हाजा में प्रश्नगत मूल वाद के निर्णय को पारित करने के साथ ही उसके विपरीत निर्णीत प्रतिकर 72 रूपये प्रति वर्गगज व उसका 30 प्रतिशत सोलेशियम के साथ 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि को प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक के स्थान पर जो वर्ष 1980 से दिया जाना निर्णीत था, के विपरीत प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक वर्ष 1973 से दिलाये जाने के साथ उक्त विजय बहादुर सिंह के निर्णय के विपरीत 30 प्रतिशत सोलेशियम व 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि दोनों मदों की धनराशि पर व्याज दिये जाने के आदेश दिये जाने का निर्णयादेश पारित किया गया तथा जिसके कारण ही उक्त मूल सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गयी थी तथा उसमें गाननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0-13553/2015 में पारित आदेश दिनांकित 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर बनाम उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय वरकरार रखा गया है, के विपरीत निर्णय को निरस्त करने की अन्यर्थना की गयी, जिसकी बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील को निरस्त करने पर कोई अवधारणा व विनिश्चय स्पष्ट नहीं होने की चूक हुयी जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त करने में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त एस0एल0पी0-13553/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 के आधार को उचित मान करके निस्तारण किए गया जिसके कारण परिषद के वृत्त कार्यालय से परीक्षणोपरान्त मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में माननीय उच्च न्यायालय में रियू दाखिल किया जाना है अतः प्रार्थी निर्णीत ऋणी संख्या-2 को माननीय उच्च

न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

निर्णीतक्रूणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा दाखिल उपरोक्त स्थगन प्रार्थनापत्र 25ग पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर निर्णीतक्रूणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 25ग दिनांक 17.10.2019 को निरस्त करते हुये यह आदेश पारित किया गया कि निर्णीतक्रूणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो दाखिल करें अन्यथा डिकी धनराशि का भुगतान करें। तदुपरान्त निर्णीतक्रूणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र धारा-47 सप्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुनः उन्हीं आधारों पर प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांकित 10.03.2016 धारा 23(1)ए में जो बाजारी कीमत 1980 की निर्धारित करने के बाद उसके अतिरिक्त जो बाजारी कीमत 72/-रुपय प्रतिदर्घगंज का 12 प्रतिशत वार्षिक दिनांक 17.02.1973 से 26.02.2980 तक का अतिरिक्त धन दिलया गया है। वह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपधारित अवधारणा के विपरीत होने के साथ ही भूमि अर्जन अधिनियम 1984 यथा संशोधित 1984 के धारा-23(1)ए के प्राविधानों का भी उल्लंघन है जिसको दिलाये जाने का कोई वैधानिक क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित नहीं है और जिसके कारण इजरा वाद हाजा में प्रस्तुत मूल सन्दर्भ उपरोक्त का पारित निर्णय व आज्ञाप्ति निष्पादन योग्य नहीं बल्कि निरस्त करने योग्य है। निर्णीतक्रूणी संख्या-2 द्वारा अपने कथन के समर्थन में सिविल अपील संख्या-2006/1968 सुन्दर दास बनाम राम प्रकाश 1977 O ए0आई0आर0 (एस0सी0) 1201, प्रथम अपील संख्या-17/1961 राव भूपेन्द्र सिंह बनाम गोपाल कुमार उमथ 1970 O ए0आई0आर0 (एम0पी0) 91, सिविल अपील संख्या-965/1981 गौरी शंकर गौड और अन्य बनान उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 1994 O ए0आई0आर0 (एस0सी0) 169 की सम्मानित विधि व्यवस्था प्रस्तुत किया है परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निर्णीतक्रूणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा अपने आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सप्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित आधारों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है जिस पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा गुणदोष के आधार पर निर्णीतक्रूणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतक्रूणी

संख्या-2- उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर नगर द्वारा प्रार्थनापत्र ३ग अन्तः
धारा-४७ सपष्टित धारा-१५१ सिविल प्रक्रिया संहिता मात्र डिकी धनराशि के भुगतान को विलम्बित
करने के आशय से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है ऐसी स्थिति
में निर्णीतक्रणी संख्या-२ उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा
प्रस्तुत आवेदन ३ग अन्तर्गत धारा-४७ सपष्टित धारा-१५१ सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किये
जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतक्रणी संख्या-२ उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा
प्रस्तुत आवेदन ३ग अन्तर्गत धारा-४७ सपष्टित धारा-१५१ सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किया
जाता है। तदनुसार यह प्रकीर्ण वाद निरस्तारित किया जाता है।

(रमेश चन्द्र-प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट,
कानपुर नगर।

अन्तर्गत अपनी जनता को इसके लाभ का लाभ
प्रदान किए १९-१-१९ का जामल अनुच्छेद लान्दे
जाने द्वारा उसका उत्तराधिकार अनुच्छेद
Permitted.

SP Judge SC/ST

२२-१-१९

अन्तर्गत अपनी जनता को लाभ का
भेदभाव नहीं जामल अनुसाल है

SP Judge SC/ST

प्रस्तुत प्रकरण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा-18 से संबंधित है। अतएव ~~इसे~~, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 142/एडमिन (सेवाये)/2019 दिनांकित 16 मार्च 2019 के आलोक में प्रकरण सम्बन्धित न्यायालय/जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर को वापस प्रेषित किया जावे। पक्षकार सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक 25.07.2019 को उपस्थित होवें।

Abd
 (पीठासीन अधिकारी)
 भू 30 पुनर्वा० एवं पुनर्वा० प्राधिकरण,
 कानपुर नगर।

16-8-19

आज एट एग्रानलो भू 30 उच्च न्यायालय इलाहाबाद
 द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 142/एडमिन (सेवाये) दिनांकित
 16.मार्च 2019 के उत्तरान् भू 30 पुनर्वा० एवं पुनर्वा० प्राधिकरण
 कानपुर नगर से वापस शान्त हो गई। इसी प्रकार
 लोटों खुलाई। निम्नांक द्वारा 199-19 को कराई।

Sup. Judge Sef ST.

19/09/2019 - शुक्रवार पूर्वाहार उपस्थित
 एग्रान गणपति वाध स्वीकृ
 तात अधिकारी आईशा दिनेक
 27/09/19 को पैदा हो शोनभ
 अवाल नदा जात है।
19/09/19

B.M.

01/10/2019

27/09/2019 - शुक्रवार दिक्षीकार उपस्थित
 है। विपक्षी निर्णय वर्तमान उपस्थित
 नहीं है। अधिकारी निर्णय वर्तमान
 छु विरत है। न्यायाधीत व
 िर्णय वर्तमान को १३ अक्टूबर
 निर्णय वर्तमान होता है। वर्तमान
 अधिकारी आईशा दिनेक 01/10/2019
 को पैदा हो।
27/09/2019
 वापस निर्णय वर्तमान भवित्वात् जै

Spl. Judge SC/ST
Ex. No 4/16

निर्णीत कर्ता ने संघर्ष प्राधिकार 226
पुस्तक के लिए विवेदन किया है।
उसकी घोषणा करने के लिए
एकमात्र बाद भी निर्णीत किया
करने की तैयारी रखी गई।
किंतु विवेदन आद्यवकाश व मध्यस्थिति
के विट्ठान अधिकारका का अनुभवन
भी दिखाया गया कि इसका
तरीके करने का विवेदन निर्णीत
राम 226 का संघर्ष प्राधिकार 226
को संघर्ष करने की ओर चाहता
है। इसका 01/10/2019 की तिथि
निपत निर्णीत के पूर्व दिक्षादाता
अवश्य जान लेना चाहे।

27/09/2019

10

Rishabh

इजरा संख्या 4/2016

01.10.2019:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित है। निर्णीत ऋणी ने आवेदन 23ख प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिकी धनराशि का भुगतान करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय, जिसका विरोध करते हुये डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन 24ख के माध्यम से कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को अपील खारिज हुयी है इजरा सन 2016 से लम्बित है। निर्णीत ऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद योजना संख्या 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशापी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को न्यायालय में तलब करके उनसे डिकी धन जमा करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह इजरा सन 2016 से लम्बित है तथा निर्णीत ऋणी की अपील माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.10.2018 को निरस्त की जा चुकी है तथा निर्णीत ऋणी द्वारा अनेक स्थगन आवेदन दिये जा चुके हैं परन्तु डिकी धनराशि जमा करने की कोई तिथि दर्शित नहीं की जा रही है। न्यायहित में डिकीदार एवं निर्णीत ऋणी के आवेदन 23ख एवं 24ख स्वीकार किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद योजना संख्या-17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशापी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 10.10.2019 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश एस०सी०१० एस०टी०, एकट,

कानपुरनगर।

10/10/19 ऐराइमा अधिकास विकास की ओर से
ध्यायप्रधान/वर्गीकृति/
प्राक्ति तात्पुरा १० दिसं
१०/१०/१०/१० विवेशकी

17/10/2019

17/10/2019 - अमरप्रधान छापरीत है।
उम्मीद की विद्वान न्यायवक्तव्य
को लेना। आदेश है 17/10/19
का पैला है।

17/10/19

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट), कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-4/2016

(मूल सन्दर्भ वाद संख्या-136/70 सन् 1998)

राम भरोसे

बनाम

उ0प्र0राज्य आदि

दिनांक 17.10.2019:-

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवेदन 25ग प्रस्तुत करते निवेदन किया गया है कि प्रार्थी निर्णीतऋणी संख्या-2 को मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त में पारित निर्णय के अनुपालन में विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी आवास कानपुर नगर भुगतान की गयी धनराशि के समायोजनोपरान्त अवशेष डिकीटल धनराशि सम्पूर्ण का भुगतान करना है तदक्रम में प्रार्थी निर्णीतऋणी संख्या-2 अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा गणना करके भुगतान स्वीकृति हेतु पत्र परिषद नियमानुसार उच्च अधिकारी सरकिल वृत्त कार्यालय को भेजा गया है जिस पर वृत्त कार्यालय द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि मूल वाद उपरोक्त में पारित निर्णय के अन्श माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0-13353/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.1998 को बहाल रखा गया है, के अनुसार इजरा वाद हाजा में प्रश्नगत मूल वाद के निर्णय को पारित करने के साथ ही उसके विपरीत निर्णीत प्रतिकर 72 रूपये प्रति वर्गज व उसका 30 प्रतिशत सोलेशियम के साथ 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि को प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक के स्थान पर जो वर्ष 1980 से दिया जाना निर्णीत था, के विपरीत प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक वर्ष 1973 से दिलाये जाने के साथ उक्त विजय बहादुर सिंह के निर्णय के विपरीत 30 प्रतिशत सोलेशियम व 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि दोनों मदों की धनराशि पर व्याज दिये जाने के आदेश दिये जाने का निर्णयादेश पारित किया गया तथा जिसके कारण ही उक्त मूल सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गयी थी तथा उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 13553/2015 में पारित आदेश दिनांकित 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर बनाम उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में माननीय अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय बरकरार रखा गया है, के विपरीत निर्णय को निरस्त करने की अभ्यर्थना की गयी, जिसकी बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील को निरस्त करने पर कोई अवधारण व विनिश्चय स्पष्ट नहीं होने की चूक हुयी जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा

अपील के निरस्त करने में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त एस0एल0पी0-13553/2015

में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 के आधार को उचित मान करके निस्तारण किया गया। जिसके कारण परिषद के वृत्त कार्यालय से परीक्षणोपरान्त मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल करने का निर्णय लिया गया जिस कम में परिषद मुख्यालय द्वारा रिव्यू दाखिल करने की स्वीकृति के साथ अधिवक्ता को नियोजित किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल किया जाना है जो दिनांक 13.10.2019 तक अवकाश होने के कारण दाखिल नहीं हो सकेगा तथा जिसको दाखिल कराकर माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु एक माह का समय दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी निर्णीत ऋणी संख्या-२ को मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 13.12.2018 दाखिल करके माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

उक्त आवेदन पर डिकीदार की ओर से लिखित आपत्ति 26ग के माध्यम से प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि निर्णय दिनांक 10.03.2016 से क्षुब्ध होकर ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील संख्या-221/2016 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम राम भरोसे आदि दाखिल की जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2018 को खारिज कर दिया गया है। ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने अपने पत्र दिनांक 10.10.2019 में रिफरेन्स वाद संख्या-161/70 सन् 1992 विजयबहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद निर्णय दिनांक 28.05.1998 न्यायालय अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर का हलावा दिया है इस वाद में भी न्यायालय ने 72/-रुपये प्रति गज के हिसाब से प्रतिकर निर्धारण किया है, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील संख्या-517/1998 दाखिल की जो दिनांक 10.12.2014 को खारिज कर दी गयी। इसके उपरान्त माननीय उच्चतम न्यायालय में उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल एस0एल0पी0 संख्या-13553/2015 भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2015 को निरस्त किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा दाखिल प्रथम अपील संख्या-221/2016 निर्णय दिनांक 13.12.2016 में विजय बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के वाद का हवाला दिया गया है और उक्त वाद में जो भी निर्णय हुआ है उसका पूरा विवरण माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दिया है। इसलिये विजय बहादुर सिंह बनाम सरकार के रिफरेन्स वाद से सम्बन्धित सभी वादों के निर्णय

के उपरान्त ही माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की अपील खारिज की है। इसलिये इनका यह कहना कि विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के रिफरेन्स बाद को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल करना एक बहकावा है और बाद को टाल कर पैसा न जमा करने की कोशिश है। ऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अपनी प्रथम अपील 221/2016 में ऋणी ने अपने अपील बाद में ब्याज से सम्बन्धित पूरी बात रखी है लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनके कथन को अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ऋणी द्वारा दाखिल प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिक्कीदार द्वारा सन् 1998 में भू-सन्दर्भ बाद संख्या-136/70/1998 दाखिल किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2016 को डिक्कीदार का वर्तमान भू-सन्दर्भ बाद निर्णीत एवं आज्ञात किया गया था जिसके विरुद्ध निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष 'अपील दाखिल किया गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर, कानपुर नगर आदि द्वारा अनेक स्थगन आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि डिक्कीधन जमा करने के लिये एक माह बाद की तिथि नियत करने की कृपा की जाय जिसे स्वीकार करते हुये अनेक तिथियों पर निर्णीतऋणी को डिक्की धनराशि जमा करने हेतु अनेक अवसर दिये गये तथा दिनांक 27.09.2019 को यह आदेश पारित किया गया कि नियत तिथि के पूर्व डिक्की धनराशि अवश्य जमा किया जाय परन्तु दिनांक 01.10.2019 को भी डिक्की धनराशि जमा नहीं किया गया ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी किये गये जिन्होंने न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर उपरोक्त स्थगन आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि उन्हें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिव्यू दाखिल करना है ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से आदेश प्राप्त करके दाखिल करने के लिये एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय जो स्पष्ट रूप से डिक्की धनराशि के भुगतान को विलम्बित करने के आशय से दिया गया है। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा दाखिल आवेदन 25ग स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है ऐसी स्थिति में निर्णीत ऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत आवेदन 25ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत आवेदन
 25ग निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 25.10.2019 को पेश हो:
 निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देशित किया जाता है।
 वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो नियत तिथि के पूर्व
 दाखिल करें अन्यथा डिक्टी धनराशि का भुगतान करें।

17/10/2019
 (समर्पण चन्द्र-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
 कानपुर नगर।

25/10/2019 - शुक्रपृष्ठ द्वारा उपलब्धिपत्र
 आवेदन 28 ग घट जापा
 अभिव्यक्त वाले जापा
 निस्तारण आवेदन 28 ग फैलो
 02/11/19 का पेशा हो।
 25/10/2019

5/11/19
 B.L.Judge ST
 R.D.P.A.C.U.
 08/11/19

2-11-19

मानविकास विभाग
 द्वारा 5-11-19 को वास्ते भवान, निर्माण
 के देश

9/8/19 Judge ST

5-11-19

मानविकास विभाग
 द्वारा 7-11-19 को वास्ते भवान, निर्माण
 के देश

8/11/19 Judge ST

7-11-19

मानविकास विभाग
 द्वारा 11-11-19 को वास्ते
 भवान, निर्माण के देश

9/11/19 Judge ST

11/11/19
 B.L.Judge ST
 R.D.P.A.C.U.

संलग्न - 5/39

Ex. No. 4/16

11/11/19 - शुक्रपर पहाड़ काम जापेत है।

विभिन्न रखी रखे स्थान उपलब्ध
20 लि लुम 100/- दरमा है।
प्राचीन काम वाले इनकार
दिनांक 13/11/19 को पूछा है।
दोहरा अवलम्बन नहीं होता है।

11/11/19

13/11/2019 - शुक्रपर पहाड़ काम जापेत है।

विभिन्न रखी रखे रखा जायाएँ।
30 लि लुम लाखी रखा जाएगा।
अप्राप्य हो दिया 19/11/19
को पूछा है।

13/11/2019

19/11

Opposite.
S.D.

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट), कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-4 / 2016

(मूल सन्दर्भ वाद संख्या-136 / 70 सन् 1998)

रामभरोसे

बनाम

उ0प्र0राज्य आदि

दिनांक 19.11.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा आवेदन 28ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि इजरा वाद हाजा के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रकीर्ण वाद संख्या-1549 / 74 सन् 2019 आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता दाखिल की है। अतः प्रकीर्ण वाद संख्या-1549 / 74 सन् 2019 आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता के निस्तारण होने तक इजरा वाद हाजा की कार्यवाही को स्थगित करने हेतु आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

विपक्षी/डिकीदार ने आवेदन 30ग2 के माध्यम से आपत्ति करते हुये कहा है कि प्रतिवादी/निर्णीत ऋणी संख्या-2 के द्वारा उपरोक्त मुकदमें प्रार्थनापत्र कागज संख्या-24ग प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के उपरान्त दिनांक 17.10.2019 को निरस्त किया जा चुका है। निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित आधार निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा उपरोक्त मुकदमें में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या-24ग में वर्णित आधार एक समान हैं। निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित आधार न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2019 को निर्णीत किये जाने के कारण निर्णीत ऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सम्बन्धित प्रकीर्ण वाद संख्या-1549 / 74 सन् 2019 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम राम भरोसे आदि में दाखिल आवेदन 3ग अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता आधार पर्याप्त न होने के कारण आज दिनांक 19.11.2019 को निरस्त किया जा चुका है एवं प्रकीर्ण वाद संख्या-1549 / 74 सन् 2019 निस्तारित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में आवेदन 28ग2 स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार आवेदन 28ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 26.11.2019 को पेश हो। निर्णीतऋणी

संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो नियत तिथि के पूर्व दखिल करें अन्यथा डिकी धनराशि का भुगतान करें।

Rajeshwar
20/11/19


20/11/19

(~~रमेश चन्द्र-प्रथम~~)
19/11/2019

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट)
कानपुर नगर।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश / एस०सी०एस०टी०, कानपुर नगर।

इजरावाद संख्या-०४/२०१६

राम भरोसे..... बनाम..... उत्तर प्रदेश राज्य आदे।

दिनांक-26.11.2019

पुकार पर पक्षकार उपरिथित। निर्णीतक्र०णी नं०-२ उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवेदन सं० ३२ग प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी को इस न्यायालय के आदेश दिनांकित १९.११.१९ के विरुद्ध रिवीजन दाखिल करके माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से इजरा की कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु समय देने की कृपा की जाये।

उपरोक्त आवेदन का विरोध करते हुये डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति ३१ग दाखिल कर कहा गया है कि जब तक अधीक्षण अभियन्ता को तलब नहीं किया जायेगा तब तक डिकी धन जमा नहीं हो पायेगा। उनकी निगाह में न्यायालय उनका कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में निर्णीतक्र०णी नं०-२ के अधीक्षण अभियन्ता को तलब करने का आदेश पारित किया जाये।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निर्णीतक्र०णी नं०-२ द्वारा दाखिल आपत्ति अंतर्गत धारा ४७ सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक १९.११.१९ को निरस्त किया गया है जिसके विरोध में रिवीजन दाखिल कर स्थगनादेश दाखिल करने हेतु समय की याचना की गई है। न्यायहित में निर्णीतक्र०णी नं०-२ का आवेदन ३२ग हर्ज पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतक्र०णी नं०-२ का आवेदन ३२ग अंकन ५००/-रुपये हर्ज पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वारते अग्रिम आदेश दिनांक ०५.१२.१९ को पेश हो। निर्णीतक्र०णी नं०-२ को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का स्थगनादेश हो तो दाखिल करे, अन्यथा डिकी की धनराशि का भुगतान करे।

26/11/19
J.D.NO.2

(रमेश कुमार-प्रथम)
विशेष न्यायाधीश / एस०सी०एस०टी०,
कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-4/2016

दिनांक 07.12.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के विद्वान् अधिवक्ता ने स्थगन आवेदन 32ग दाखिल करके निवेदन किया गया है कि आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता के निरस्त किये जाने के निर्णय दिनांक 19.11.2019 के विरुद्ध प्रार्थी को रिवीजन दाखिल करना है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से इजरा कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त करके अथवा रिव्यू आदेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा घोर आपत्ति करते हुये कहा गया है कि निर्णीतऋणी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अब रिकवरी कार्यवाही किया जाना उचित है।

उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान इजरा वाद सन 2016 में दाखिल किया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2008 को निरस्त किया जा चुका है। इसके पूर्व से भी निर्णीतऋणी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अनेक स्थगन आवेदन देकर मामले को विलम्बित किया गया है तथा बार बार स्थगन आवेदन देकर निवेदन किया गया है कि स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जाय जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी द्वारा स्पष्ट रूप से मामले को विलम्बित किया जा रहा है। फिर भी न्यायहित में निर्णीतऋणी का स्थगन आवेदन स्वीकार करते हुये माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करने हेतु एक अन्तिम अवसर दिया जाना न्यायसंगत होगा।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का स्थगन आवेदन 32ग मु0 500/-रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 16.12.2019 को पेश हो। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो नियत तिथि के पूर्व दाखिल करें अन्यथा डिकी धनराशि का भुगतान करें।

7/12/2019
मुमुक्षु

07/12/2019
(रमेश चन्द्र-प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
कानपुर नगर।

निषादन वाद संख्या-4/2016दिनांक 16.12.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिकीदार उपस्थित है। निर्णीत ऋणी उपस्थित नहीं है। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से आवेदन 35g प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा न्यायालय में दाखिल आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रकीर्ण वाद संख्या-1549/74/2019 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद बनाम राम भरोसे आदि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2019 निरस्त की गयी थी जिसके विरुद्ध प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करना है जिस हेतु प्रार्थी आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रकीर्ण वाद संख्या उपरोक्त में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करने हेतु फार्मर आर्डर की प्रमाणित प्रति दिनांक 03.12.2019 को प्राप्त हुयी है। नकलें प्राप्त होने के बाद परिषद मुख्यालय से अधिवक्ता नियोजित हो चुका है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है तथा माह दिसम्बर 2019 में आगे माननीय उच्च न्यायालय में अवकाश रहेंगे। अतएव नियोजित अधिवक्ता से रिवीजन तैयार व दाखिल कराकर रिवीजन में अथवा इजरा वाद के पक्षकारों के मध्य विचाराधीन रिव्यू में माननीय उच्च न्यायालय में इजरा वाद की कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु आज की तिथि स्थगित करके पर्याप्त समय देकर माह जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि प्रदान करने की कृपा करें।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया है कि निर्णीतऋणी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारपट जारी किया जाना आवश्यक है। डिकीदार की ओर से शपथपत्र 36g के माध्यम से निर्णीतऋणी का बैंक खाता प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया गया है कि निर्णीतऋणी का बैंक एकाउण्ट कुर्क करके डिकीदार का डिकीधन दिलाया जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। निर्णीतऋणी की तरफ से प्रस्तुत आवेदन 35g में स्पष्ट रूप से यह उल्लंघन किया गया है कि निर्णीतऋणी को दिनांक 03.12.2019 को नकल प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका ऐसी स्थिति में आज की तिथि स्थगित करके जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि नियत की जाय परन्तु बार-बार पुकार करने पर भी आवेदन 35g पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं आ रहा है जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी द्वारा वर्तमान इजरा को विलम्बित करने के आशय से आवेदन 35g प्रस्तुत किया गया है। फिर भी न्यायहित में निर्णीतऋणी को एक अन्तिम अपसर दिया जाना न्यायसंगत है। मामले की परिस्थितियों में निर्णीतऋणी का स्थगन आवेदन स्वीकार हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का स्थगन आवेदन 35ग मु0 500/-रूपये हर्ज पर स्वीकार किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 23.12.2019 को पेश हो। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि के पूर्व डिक्टी धनराशि अदा करे अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल करे। निर्णीतऋणी संख्या-2 का अब कोई स्थगन आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

(रमेश चन्द्र-प्रधान)
16/12/2019

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

04/01/2020

निष्पादन वाद संख्या-4/2016दिनांक 23.12.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिक्टीदार एवं निर्णीत ऋणी उपस्थित है। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से आवेदन 37ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा न्यायालय में दाखिल आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता में आपत्ति निरस्त के आदेश दिनांक 19.11.2019 के विरुद्ध प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करना है जिसके लिये फार्मल आर्डर एवं नकल प्राप्त होने के बाद अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है तथा मूल सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध पक्षकारों के मध्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध पक्षकारों के मध्य माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल व विचाराधीन है जिसमें भी सुनवाई होकर आदेश प्राप्त होना है परन्तु दिनांक 31.12.2019 तक माननीय उच्च न्यायालय में अवकाश है। अतएव उक्त आपत्ति धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता में पारित उक्त आदेश के विरुद्ध रिवीजन दाखिल कराकर रिवीजन में अथवा इजरा वाद के पक्षकारों के मध्य विचाराधीन उक्त रिव्यू में माननीय उच्च न्यायालय से इजरा वाद की कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु आज की तिथि स्थगित करके पर्याप्त समय देकर माह जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिक्टीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया है कि निर्णीतऋणी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र निरस्त करके निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी किया जाना आवश्यक है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान इजरा वाद सन् 2016 में दाखिल किया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 लो निरस्त किया जा चुका है। इसके पूर्व भी निर्णीतऋणी द्वारा अनेक स्थगन आवेदन देकर मामले को विलम्बित किया गया हैं तथा बार-बार स्थगन प्रार्थनापत्र देकर निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जाय। दिनांक 16.12.2019 को भी निर्णीतऋणी द्वारा इसी आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकार करते हुये यह आदेश पारित किया गया था कि नियत तिथि को निर्णीतऋणी डिकी धनराशि डिक्टीदार को अदा करे अन्यथा यदि माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल करे तथा यह भी आदेश पारित किया गया था कि निर्णीतऋणी संख्या-2 का अब कोई स्थगन आवेदन

स्वीकार नहीं होगा। परन्तु निर्णीतक्रणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित कोई स्थगन आदेश दाखिल नहीं किया गया है एवं स्थगन प्रार्थनापत्र 37ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिव्यू दखिल व विचाराधीन हैं तथा निर्णीतक्रणी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2019 की नकल प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है ऐसी रिस्ति में आज की तिथि स्थगित करके जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि नियत की जाय। जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतक्रणी द्वारा निष्पादन कार्यवाही को विलम्बित करने के लिये उपरोक्त स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। मामले की परिस्थितियों में निर्णीतक्रणी का स्थगन आवेदन 37ग स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतक्रणी द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन 37ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतक्रणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का स्थगन आवेदन 37ग निरस्त किया जाता है। निर्णीतक्रणी के विरुद्ध रिक्वरी वारण्ट जारी हो। अमीन को परवाना जारी हो। पैरवी अन्दर तीन दिन की जाए। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 04.01.2020 को पेश हो।

23/12/2019
 (रमेश चन्द्र-प्रथम)
 विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
 कानपुर नगर।

13/01/2020

R.P.A.DK
 24/12/19
 2019 D.N.02

निष्पादन वाद संख्या-५/2016दिनांक ०४.०१.२०२०:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपासेत हैं। निष्पोत्तमणी संख्या-२ उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवेदन ३७८ संगीत शपथपत्र ४०८ प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि इजरा उपरोक्त के मूल वाद में डिकीत भूमि का उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-८ के अन्तर्गत प्रथम नोटिफिकेशन दिनांक १७.०२.१९७३ व धारा-३२ के अन्तर्गत नोटिफिकेशन दिनांक २७.०२.१९८० को हुआ था परन्तु अर्जन से क्षुब्ध कुछ भू स्वामिया द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समुख याचिका संख्या-१०९६५/१९८२ प्रस्तुत की गयी थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक ०१.०८.१९८४ को खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप भूस्वामियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समुख एस०एल०पी० संख्या-११६९७/१९८४ प्रस्तुत की गयी थी जिसमें दिनांक १२.०८.१९९३ को यह आदेश पारित किये गये थे कि भू-स्वामियों को धारा-६ की विज्ञप्ति के वर्ष १९८० में प्रचलित बाजारु मूल्य की दर से प्रतिकर का भुगतान किया जावे तथा धारा-४ जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-२८ के सम्बन्ध में है तथा जिसका प्रकाशन दिनांक १७.०२.१९७३ को हुआ था को काल्पनिक रूप से यह स्वीकार किया जावेगा कि उक्त का प्रकाशन वर्ष १९८० में धारा-६ की विज्ञप्ति की तिथि २७.०२.१९८० को हुआ है। न्यायालय ने इजरा उपरोक्त के मूल वाद में पारित निर्णय/डिकी दिनांकित १०.०३.२०१६ को डिकीदारानों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांकित १२.०८.१९९३ से आच्छादित एक अन्य भू सन्दर्भ वाद संख्या-१६२/७०/१९९२ में माननीय अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय/डिकी दिनांकित २८.०५.१९९८ के आधार पर वर्ष १९८० में प्रचलित रूपये ७२.०० प्रति वर्गगज की दर से बाजारु मूल्य निर्धारित किया गया है परन्तु १२ प्रतिशत अतिरिक्त दिनांक २७.०२.१९८० के स्थान पर दिनांक १७.०२.१९७३ से दिखाया गया है जो कि उक्त निर्णय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश व भूमि अध्यापित अधिनियम की धारा-२३(१-ए) के विपरीत है। डिकीदारानों को सोलैशियम तथा अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशियों पर भी ब्याज दिलाया गया जो कि १६२/७०/१९९२ विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में पारित निर्णय/डिकी के विपरीत है। न्यायालय द्वारा इजरा उपरोक्त के मूल वाद में पारित निर्णय/डिकी दिनांकित १०.०३.२०१६ के विरुद्ध विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील संख्या डी-२२१/२०१६ प्रस्तुत की थी जिसमें १२ प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर को दिनांक १७.०२.१९७३ के स्थान पर दिनांक २७.०२.१९८० से दिलाये जाने की मँग की गयी थी परन्तु विभाग की इस मँग पर माननीय न्यायालय का स्पष्टीकरण न आने के कारण रिव्यू

पिटीशन दाखिल किया गया है जिसमें शीघ्र सुनवाई कराकर स्थगन आदेश प्राप्त करने का प्रयास विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री नवनीत सिंह त्रिपाठी, एडवोकेट द्वारा की जा रही है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है। न्यायालय के समुख भी इजरा के विरुद्ध आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत की गयी थी। जो प्रकीर्ण वाद संख्या-1549/74 सन 2019 के नम्बर पर दर्ज होकर गुण व दोष के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2019 को खारिज की जा चुकी है जिसके विरुद्ध भी माननीय उच्च न्यायालय के समुख रिवीजन वाद प्रस्तुत करने हेतु विभाग के मुख्यालय लखनऊ से अपर आवास आयुक्त एवं सचिव माहेदय से अनुमति प्राप्त हो गयी है तथा रिवीजन दाखिल कराकर शीघ्र ही आदेश प्राप्त करने हेतु श्री नवनीत चन्द त्रिपाठी, एडवोकेट के माध्यम से प्रभावी पैरवी की जा रही है। डिकीधन जमा करने में हो रहे विलम्ब से डिकीदार को कोई वित्तीय क्षति नहीं हो रही है। चूंकि डिकीधन जमा करने की तिथि तक उसे 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की अदायगी प्रार्थी के विभाग को करना होगा। बाजार मूल्य की धनराशि पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिनांक 27.02.1973 से दिये जाने पर प्रार्थी के विभाग को अपूर्णनीय आर्थिक क्षति होगी तथा जिसकी प्रतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं होगा एवं इसका प्रभाव अन्य लम्बित भू-सन्दर्भ वादों पर भी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इजरा उपरोक्त में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश वास्ते कुर्का दिनांकित 23.12.2019 को रिकाल/अपास्त करके माननीय उच्च न्यायालय के समुख लम्बित रियू पिटीशन/रिवीजन प्रस्तुत करते हुये स्थगन आदेश प्राप्त करके न्यायालय के समुख प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय दिये जाने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2019 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। निर्णीतऋणी का प्रार्थनापत्र खारिज करके रिकवरी वारण्ट जारी करने की कृपा की जाय। पैरवी हो चुकी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान इजरा वाद सन 2016 में दाखिल किया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। इसके पूर्व भी निर्णीतऋणी द्वारा अनेक स्थगन आवेदन देकर मामले को विलम्बित किया गया हैं तथा बार-बार स्थगन प्रार्थनापत्र देकर निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जाय। दिनांक 16.12.2019 को भी निर्णीतऋणी द्वारा इसी आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकार करता हुये यह आदेश पारित किया गया था कि नियत तिथि को निर्णीतऋणी डिकी धनराशि डिकीदार को अदा

करे अन्यथा यदि माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल करे तथा यह भी आदेश पारित किया गया था कि निर्णीतऋणी संख्या-2 का अब कोई स्थगन आवेदन स्वीकार नहीं होगा परन्तु निर्णीतऋणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित कोई स्थगन आदेश दाखिल नहीं किया गया है एवं दिनांक 23.12.2019 को पुनः निर्णीतऋणी द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र 37ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रियू दाखिल व विचाराधीन है तथा निर्णीतऋणी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2019 की नकल प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है ऐसी स्थिति में आज की तिथि स्थगित करके जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि नियत की जाय। जिसे दिनांक 23.12.2019 को निरस्त करते हुये निर्णीतऋणी संख्या-2 के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी किया जा चुका है परन्तु निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा आज भी डिकी धनराशि जमा न करके उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि आदेश दिनांक 23.12.2019 रिकाल/अपास्त करके स्थगन आदेश दाखिल करने हेतु एक माह का समय दिये जाने की कृपा की जाय। जिसे स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 39ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत आवेदन 39ग निरस्त किया जाता है। निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी हो। अभीन को परवाना जारी हो। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 13.01.2020 को पेश हो।

13/01/2020
(रमेश चन्द्र-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
कानपुर नगर।

8-८२०

माननीय दिल्ली दायरा के लिए कोई गम्भीर
दोष नहीं हुआ है जो उन्होंना अदाना निपत्र
किया हेतु आयी है।

13/01/2020 - मुकामेक उत्कृष्ट उपस्थित है।
निर्णीत दरवाजे उपस्थित नहीं है।
अभीन द्वारा कोई ऊपरानी गम्भीर
दोष नहीं हुए कारबूल दर्शाया जाता है।
कोई दोष नहीं हुए 18/01/2020 को पेश है।

8/13/01/2020

दिनांक 18.01.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी द्वारा डिकी धनराशि अदा नहीं किया गया है। मौखिक रूप से निर्णीत ऋणी के विद्वान अधिकता एवं पैरोकार द्वारा कहा गया है कि अधीक्षण अभियन्ता निर्माण खण्ड द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि न्यायालय के आदेश से उन्हें अवगत कराया जा चुका है। अमीन ने आख्या दिया है कि निशानदेही न होने के कारण वारण्ट का तामीला नहीं हो सका। पुनः वसूली वारण्ट जारी हो। पैरवी अन्दर तीन दिन किया जाय। वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 29.01.2020 को पेश हो।

(रमेश चन्द्र-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
कानपुर नगर।

23/1/20

माजी इडी बापू दास नानी के पैरवी
की गई। आप हुम्हारी ही पता
होनी हुआ है।

Shl Shd 1/4/20

29/1/20

आधिकारिक वारण्ट-चालूक्य के
विलंबे वाले अभियन्ता आदेश
मात्र 04-2-20 को वाराण्सी

दिनांक 04.02.2020:-

पुकार पर डिकीदार उपस्थित है। निर्णीतऋणी उपस्थित नहीं है। Court of Special Judge S.C & S.T. act
वसूली वारण्ट के सन्दर्भ में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही कोई समय की माँग की गयी है। अदालत अमीन को कारण बताओ नोटिस जारी हो। पतावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 10.02.2020 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
कानपुर नगर।

18/02/2020

10/2/2020

वार्षिकी उत्तराधीन
परिवारी वार्षिकी
प्रदानी वार्षिकी

प्रदानी वार्षिकी

10/2/2020

निषादन वाद संख्या-4 /2016दिनांक 10.02.2020:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिकीदार उपस्थित है। निर्णीतऋणी उपस्थित नहीं है। डिकीदार की तरफ से आवेदन 43ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय द्वारा रिकवरी वारण्ट ऋणी संख्या-2 अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, निर्माण खण्ड-17, कल्यानपुर कानपुर नगर पर निकाला गया था जिसमें अमीन द्वारा अपनी रिपोर्ट न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट में ऋणी संख्या-2, अधिशासी अभियन्ता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे जिसके कारण रिकवरी की कार्यवाही नहीं हो सकी है। ऋणी संख्या-2 सरकारी कार्यालय है और कर्मचारी है जिसके कारण रिकवरी की कार्यवाही करने में अमीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में डिकीदार द्वारा ऋणी के बैंक खाते का नम्बर, नाम व पता शपथपत्र दिनांकित 16.12.2019 कागज संख्या-36ग द्वारा दाखिल किया गया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में ऋणी का बैंक खाता जो शपथपत्र में दिये गये हैं को कुर्क करके डिकीदार मंगाया जाना आवश्यक है। अतः ऋणी के बैंक खाता, इजरा वाद में दिये गये धन रूपये 98,16,723/- को कुर्क करने की कृपा करें।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिकी धनराशि के भुगतान के लिये निर्णीतऋणी के विरुद्ध वसूली वारण्ट जारी किया गया था तथा न्यायालय अमीन को यह अवगत कराया गया कि अधीक्षण अभियन्ता डिफेन्स एक्सपो 2020 में डियूटी लगी होने के कारण लेखनऊ गये हुये हैं। उनकी डियूटी से वापस होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी परन्तु आज तक निर्णीतऋणी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर डिकी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जानबूझकर न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डिकी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में डिकीदार का आवेदन 43ग स्वीकार किये जाने योग्य है तथा निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बचत खाता संख्या-27351110000135 एवं बचत खाता संख्या- 27351110000201 आन्ध्रा बैंक केशवपुरम, कानपुर नगर कुर्क किये जाने योग्य है।

आदेश

डिकीदार का आवेदन 43ग स्वीकार किया जाता है। निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बचत खाता संख्या-27351110000195 एवं बचत खाता संख्या- 27351110000201 आन्ध्रा बैंक केशवपुरम, कानपुर नगर अग्रिम आदेश तक कुर्क किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि न्यायालय के किसी सहजदृश्य भाग पर लगायी जाय तथा एक प्रतिलिपि निर्णीतऋणी को भेजी जाय। अनुपालन हेतु सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक को पत्र प्रेषित हो। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 18.02.2020 को पेश हो।

24/02/2020
(रमेश चन्द्र-प्रध्याय)

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),

कानपुर नगर।

Stocks

Ex. 16 4/16

18/02/2020 - युकार पर छोड़ी गयी उपलब्धित है।
निष्पत्ति कर्त्ता उपलब्धित नहीं है। छोड़ी गयी वार
का समग्र गणना आवधि 14 दिनों के लिए
हास्त अधिकार ब्राह्मण हिन्दीक 29/02/2020
को मिश्य है। 18/02/2020

27/02/2020

निष्पादन वाद संख्या-4 /2016दिनांक 24.02.2020:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिकीदार उपस्थित है। निर्णीतक्रणी उपस्थित नहीं है। डिकीदार की तरफ से आवेदन 46ग एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का आदेश दिनांक 13.02.2020 प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बैंक खाता कुर्क करने के लिये बैंक खाता नम्बर दिये गये थे, उसमें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 लिखा गया है जिसके कारण बैंक में खाता सीज नहीं हो सके। आंधा बैंक के बैंक खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के नाम से संचालित किये जा रहे हैं, इसलिये बैंक खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के सील करने के लिये बैंक को पुनः पत्र भेजा जाना न्यायहित में आवश्यक है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता डिकी का भुगतान करने के लिये संस्तुति नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधीक्षण अभियन्ता को तलब करना भी न्यायहित में आवश्यक है। क्रणी के द्वारा दाखिल रिवीजन माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.02.2020 को खारिज कर दिया गया है। अतः बैंक खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का कुर्क करने एवं अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-17 कानपुर को तलब करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्णीतक्रणी का सिविल रिवीजन निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी हो। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 27.02.2020 को पेश हो।

(रमेश चन्द्र-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
कानपुर नगर।

दिनांक 27.02.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी ने आवेदन 48ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिकी धनराशि स्वीकृत करने हेतु समिति की बैठक आमंत्रित की गयी है, जिससे डिकीधन स्वीकृत होना है। डिकीधन स्वीकृत हो जाने के पश्चात् विभाग के मुख्यालय से डिकीधन अवमुक्त कराकर न्यायालय में जमा करने में 20 से 25 दिन का समय लग जायेगा। ऐसी स्थिति में इजरा वाद में पारित आदेश कुर्की को स्थगित करके डिकीधन जमा करने हेतु प्रार्थी/निर्णीतऋणी को 25 दिन का समय दिया जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुये कहा है कि निर्णीतऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान विलम्बित किया जा रहा है तथा डिकीदार की डिकी धनराशि जमा नहीं किया जा रहा है। निर्णीतऋणी का आवेदन निरस्त किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है मात्र निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 48ग2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 48ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 03.03.2020 को पेश हो। नियत तिथि से पूर्व निर्णीतऋणी डिकी धनराशि अवश्य जमा करे।

27/02/2020
(रमेश चन्द्र-प्रधान)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

07/03/2020

निष्पादन वाद संख्या-4 /2016दिनांक 03.03.2020:-

पुकार पर पश्चात उपरिषेत है। निर्णीतऋणी ने आवेदन 49ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिकी धनराशि जमा करने हेतु विभागीय कार्यवाही की जा रही है एवं अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ वृत्त कानपुर के कार्यालय द्वारा डिकीधन स्वीकृत हो चुका है तथा डिकीधन मुख्यालय लखनऊ से अवमुक्त करकार न्यायालय में जमा करने हेतु 20 दिन का समय प्रदान करते हुये कोई अन्य तिथि नियत करने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुये कहा है कि निर्णीतऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान विलम्बित किया जा रहा है तथा डिकीदार की डिकी धनराशि जमा नहीं किया जा रहा है। निर्णीतऋणी का आवेदन निरस्त किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है मात्र निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 49ग2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 49ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 07.03.2020 को पेश हो। नियत तिथि से पूर्व निर्णीतऋणी डिकी धनराशि अवश्य जमा करे।

07/03/2020
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
कानपुर नगर।

दिनांक 07.03.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी ने आवेदन 51ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिकीध स्वीकृत हो चुका है। डिकीधन मुख्यालय लखनऊ से अवमुक्त किये जाने पर न्यायालय में जमा करने हेतु आज की तिथि स्थगित करके 10 दिन का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुये कहा है कि निर्णीतऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान विलम्बित किया जा रहा है तथा डिकीदार की डिकी धनराशि जमा नहीं किया जा रहा है। निर्णीतऋणी का आवेदन निरस्त किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है मात्र निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 51ग2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 51ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 16.03.2020 को पेश हो। नियत तिथि से पूर्व निर्णीतऋणी डिकी धनराशि अवश्य जमा करे।

07/03/2020
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

17/03/2020

16/3/20

प्रेरहुआ अधिकार्हागत व्यापिकाकार्य
संचिरन छो. पत्रावलीबाट्टे साइराइर
हिन्दि 17/3/20 दीप्तेशी

2/2
1/2

३/३
५/५

निष्णादन वाद संख्या-4/2016

दिनांक 17.03.2020:-

पत्रावली पेश हुई। कोरोना महामारी के कारण डिकीदार एवं निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं। वास्ते सुनवाई दिनांक 21.03.2020 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

19-3-25

माना नियामन अधिकारी को आदेश से छोड़कर 52ग2
व अदानाल-1 अदेश 53ग2 दाखिल करना चाहिए।
अदेश दूरकारी नियामन अधिकारी को प्रेषण।

Special Judge sc/57

दिनांक 21.03.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी ने आवेदन 52ग2 व कार्यालय आदेश 53ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न डी0डी0 संख्या-208629 दिनांक 18.03.2020 यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा कल्यानपुर कानपुर नगर धनराशि मु0 35,42,636/-रुपये पत्रावली में रिकार्ड पर लेकर उचित आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पत्रावली में बैंक ड्राफ्ट दाखिल करके आदेन 52ग2 पर आपत्ति दाखिल करने हेतु समय देने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदन 52ग2 के साथ दाखिल डी0डी0 संख्या-208629 दिनांक 18.03.2020 यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा कल्यानपुर कानपुर नगर धनराशि मु0 35,42,636/-रुपये को पत्रावली में दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। आवेदन 52ग2 पर आपत्ति आमन्त्रित हो। वास्ते आपत्ति निस्तारण आवेदन 52ग2 दिनांक 27.03.2020 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

Ex 4116

2914 $\frac{27.3.20}{29.4.20}$
3015 $\frac{29.4.20}{30.5.20}$
2917 $\frac{30.5.20}{29.7.20}$

2919/20

કોવિડ - 2019 કુલ કાર્ય - સામયિક
જન રેટિંગ / રીટેક 029-20
પાત્ર - ફાઈલ - 5211 - ૫૪૬૧

S&H Judge SC/20 - 2021

૫૮

અધિક

प्रस्तुत प्रकरण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा-18 से संगति है। अतएव गा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 142/एलमिन (सेवाये)/2019 दिनांकित 16 मार्च 2019 के आलोक में प्रकरण सम्बन्धित न्यायालय/जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर को यापर्ह प्रेषित किया जाये। पक्षकार सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक 27.07.2019 को उपरिथित होवें।

(पीठासोन अधिकारी)
भू० अ० पुनर्वा० एवं पुनर्व्य० प्राधिकरण,
कानपुर नगर।

16-8-19

आज ये प्रश्नलाई माफ़ करने वाले होते हैं।
 छाता नियम विधि संख्या 142/सुनील (सेवाये दिवार)।
 16 अप्रैल 2019 के अवधारणा भूमि अप्रैल 2019 के अवधारणा
 घोषित होने के बाद से जापानी एक नियम विधि द्वारा दिवार
 द्वारा जापानी विधि के द्वारा 19-9-19 के दिन।

~~spf Sandycroft~~

19/09/2019 - युवराज प्रसादलाल उपस्थिति नं.
निर्णीत क्षेत्र का इकाई ग्रामपाल २०६
ग्रामपाल वे एकीकरण कार्य समिति
आदेश दिनांक 27/09/19 तारीख
इकाई अधिकारी द्वारा दिया गया
19/09/19

*R.D. Johnson
1/1/2012*

1143 निर्मित-पूर्वी भ
उपर्युक्त देखिए निर्मित करणे ने संप्रभु
प्राप्तवापूर्व 21 व पुस्तुत करके निर्माण
किला ठिक ठिक इक्कीचार जाए। करने के लिए

काई छग्य गोपीया ना दि किल
के विदान आवृत्ति द्वारा
जधीक्षण आमिपन्त श्री उनशा
कुमा के तलक करने की पायरा
सी गई १८ नवाचत दि निष्ठा
संघ के उपाय आवद्य २१ द्वा
स्वीकृत वास्तु अलीग आद्य
मुख्य क ०१/०९/२०१९ की परा द्वा
निपत तोरी के द्वारा दराश
आमिपन्त श्री उनशा की जान

27/09/2019

10
10

Roshan

17
10

इंजरा संख्या 5 / 2016

01.10.2019:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी ने आवेदन 22ख प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिकी धनराशि का भुगतान करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय, जिसका विरोध करते हुये डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन 23ख के माध्यम से कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को अपील खारिज हुयी है इजरा सन 2016 से लम्बित है। निर्णीत ऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद योजना संख्या 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को न्यायालय में तलब करके उनसे डिकी धन जमा करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह इजरा सन 2016 से लम्बित है तथा निर्णीत ऋणी की अपील माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.10.2018 को निरस्त की जा चुकी है तथा निर्णीत ऋणी द्वारा अनेक स्थगन आवेदन दिये जा चुके हैं परन्तु डिक्टी धनराशि जमा करने की कोई तिथि दर्शित नहीं की जा रही है। न्यायालय में डिक्टीदार एवं निर्णीत ऋणी के आवेदन 22ख एवं 23ख स्वीकार किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद योजना संख्या-17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते अग्रेम आदेश दिनांक 10.10.2019 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश एस०सी०१ एस०टी०१ एकट.
01/10/2019

कानपरनगर ।

10|10|19

એકાદશી વિપુલીજાવાન-વિરદ્ધ
શ્રીડીપલે પ્રાઠે પ્રાંત/નરલ
સ્વામી આપત્તિ હૃદયાપનાણાય.
યજાનલીવાને પા|| મિઠાંદ રિસ
11/10/19 શ્રી કૃષ્ણ

11/10/2019 - शुक्रवार पक्ष कम अस्तित्व
प्रत्याप्ति की दिन अधिक वर्ता
को उत्तर 24 अक्टूबर 2019 में
द्वारा निर्णय 11/10/19 की पर्याप्ति
✓ 11/10/19

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी० / एस०टी० एक्ट), कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-5/2016

(मूल सन्दर्भ वाद संख्या-137/70 सन् 1998)

अरुण कुमार आदि

बनाम उ०प्र०राज्य आदि

दिनांक 17.10.2019:-

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवेदन 24ग प्रस्तुत करते निवेदन किया गया है कि प्रार्थी निर्णीतऋणी संख्या-2 को मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त में पारित निर्णय के अनुपालन में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी आवास कानपुर नगर भुगतान की गयी धनराशि के समायोजनोपरान्त अवशेष डिक्रीटल धनराशि सम्पूर्ण का भुगतान करना है तदकम में प्रार्थी निर्णीतऋणी संख्या-2 अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा गणना करके भुगतान स्वीकृति हेतु पत्र परिषद नियमानुसार उच्च अधिकारी सरकिल वृत्त कार्यालय को भेजा गया है जिस पर वृत्त कार्यालय द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि मूल वाद उपरोक्त में पारित निर्णय के अन्श माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी०-13353/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 जिसमें अन्य सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.1998 को बहाल रखा गया है, के अनुसार इजरा वाद हाजा में प्रश्नगत मूल वाद के निर्णय को पारित करने के साथ ही उसके विपरीत निर्णीत प्रतिकर 72 रूपये प्रति वर्गगज व उसका 30 प्रतिशत सोलेशियम के साथ 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि को प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक के स्थान पर जो वर्ष 1980 से दिया जाना निर्णीत था, के विपरीत प्रथम नोटिफिकेशन के दिनांक वर्ष 1973 से दिलाये जाने के साथ उक्त विजय बहादुर सिंह के निर्णय के विपरीत 30 प्रतिशत सोलेशियम व 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि दोनों मदों की धनराशि पर ब्याज दिये जाने के आदेश दिये जाने का निर्णयादेश पारित किया गया तथा जिसके कारण ही उक्त मूल सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गयी थी तथा उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी०-13553/2015 में पारित आदेश दिनांकित 06.11.2015 जिसमें अन्य 'सन्दर्भ वाद संख्या-161/70/1992 विजय बहादुर बनाम उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद में अपर जिला जज पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय बरकरार रखा गया है, के विपरीत निर्णय को निरस्त करने की आवश्यकता की गयी, जिसकी बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील को निरस्त करने पर कोई अवधारण व विनिश्चय स्पष्ट नहीं होने व्ही चूक हुयी जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त करने में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त एस०एल०पी०-13553/2015 में पारित

आदेश दिनांक 06.11.2015 के आधार को उचित मान करके निस्तारण किया गया जिसके कारण परिषद के वृत्त कार्यालय से परीक्षणेपरान्त मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल करने का निर्णय लिया गया जिस क्रम में परिषद मुख्यालय द्वारा रिव्यू दाखिल करने की स्वीकृति के साथ अधिवक्ता को नियोजित किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल किया जाना है जो दिनांक 13.10.2019 तक अवकाश होने के कारण दाखिल नहीं हो सकेगा तथा जिसको दाखिल कराकर माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु एक माह का समय दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी निर्णीत ऋणी संख्या-2 को मूल सन्दर्भ वाद उपरोक्त के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 13.12.2018 दाखिल करके माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिकीदार की ओर से उक्त आवेदन पर लिखित आपत्ति 25ग के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि निर्णय दिनांक 10.03.2016 से क्षुब्ध होकर ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील संख्या-220/2016 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम अरुण कुमार आदि दाखिल की जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2018 को खारिज कर दिया गया है। ऋणी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने अपने पत्र दिनांक 10.10.2019 में रिफरेन्स वाद संख्या-161/70 सन 1992 विजयबहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद निर्णय दिनांक 28.05.1998 न्यायालय अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर का हलाजा दिया है इस वाद में भी न्यायालय ने 72/-रुपये प्रति गज के हिसाब से प्रतिकर निर्धारण किया है, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील संख्या-517/1998 दाखिल की जो दिनांक 10.12.2014 को खारिज कर दी गयी। इसके उपरान्त माननीय उच्चतम न्यायालय में उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल एस0एल0पी0 संख्या-13553/2015 भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2015 को निरस्त किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा दाखिल प्रथम अपील संख्या-220/2016 निर्णय दिनांक 13.12.2016 में विजय बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के वाद का हवाला दिया गया है और उक्त वाद में जो भी निर्णय हुआ है उसका पूरा विवरण माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दिया है। इसलिये विजय बहादुर सिंह बनाम सरकार के रिफरेन्स वाद से सम्बन्धित सभी वादों के निर्णय के उपरान्त ही माननीय उच्च न्यायालय ने

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की अपील खारिज की है। इसलिये इनका यह कहनात्क विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के रिफरेन्स वाद को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल करना एक बहकावा है और वाद को टाल कर पैसा न जमा करने की कोशिश है। ऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अपनी प्रथम अपील 220/2016 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम अरुण कुमार में ऋणी ने अपने अपील वाद में ब्याज से सम्बन्धित पूरी बात रखी है लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनके कथन को अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ऋणी द्वारा दाखिल प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिकीदार द्वारा सन् 1998 में भू-सन्दर्भ वाद संख्या-137/70/1998 दाखिल किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2016 को डिकीदार का वर्तमान भू-सन्दर्भ वाद निर्णीत एवं आज्ञाप्त किया गया था जिसके विरुद्ध निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष अपील दाखिल किया गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर, कानपुर नगर आदि द्वारा अनेक स्थगन आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि डिकीधन जमा करने के लिये एक माह बाद की तिथि नियत करने की कृपा की जाय जिसे स्वीकार करते हुये अनेक तिथियों पर निर्णीतऋणी को डिकी धनराशि जमा करने देतु अनेक अवसर दिये गये तथा दिनांक 27.09.2019 को यह आदेश पारित किया गया कि नियत तिथि के पूर्व डिकी धनराशि अवश्य जमा किया जाय परन्तु दिनांक 01.10.2019 को भी डिकी धनराशि जमा नहीं किया गया ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर के अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी किये गये जिन्होंने न्यायालय के समक्ष उपरिथित आकर उपरोक्त स्थगन आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि उन्हें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिव्यू दाखिल करना है ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से आदेश प्राप्त करके दाखिल करने के लिये एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय जो स्पष्ट रूप से डिकी धनराशि के भुगतान को विलम्बित करने के आशय से दिया गया है। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा दाखिल आवेदन 24ग स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है ऐसी स्थिति में निर्णीत ऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत आवेदन 24ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीत ऋणी संख्या-२ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिपद द्वारा प्रस्तुत आवेदन

24ग निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 25.10.2019 को पेश हो। निर्णीतक्रणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो नियत तिथि के पूर्व दाखिल करें अन्यथा डिकी धनराशि का भुगतान करें।

Rosie
(SST)
19/10/14

कर।

 (रमेश चन्द्र-प्रथम)
 विशेष न्यायाधीश (एस0सी०) / एस0टी० एक्ट),
 कानपुर नगर।

25/10/2019 - तुम पर पहला बाल आवेदन है।
आवेदन 25 मार्च 2019 को आपकी अधिकारी के
द्वारा बोधन कानून द्वारा आवेदन
25 मार्च 2019 को 02/11/2019 तक प्राप्त हो।

~~By order
[Signature]~~

E
25/10/2019

R. J. B. S.

2-11-19

115R-Judge Sel. 5
Date 11-11-1978
Place P.O. Dharwad
Court No. 1
Case No. 115R
Judge S. L. J.

1/5th Judge Sc. 15

5-11-19

— नारदपुरा कृष्ण दक्षिण उपनिषद
संस्कृती लिखने वालों से जुड़ा हुआ
थाए दो ब्रह्मणि लिखने वाले भाष्यका / ग्रन्थों
लिखा गया ७-११-१९८० दिन परमार्थ

Spalding E.S.

01
11
19

71159

१९८०-८१ साल की विद्युत बिलों का अनुदान
प्रभारी ११-११-१९८१

McMurry C/S

83183
1241

Prof. P. J. P. Prater

19
11

संलग्न - 5/55

B. B. Ad.
B. B. Ad
(D.T.)

11/11/19 - शुक्रवार विषयत हो।
निम्नलिखित दो दिनांक प्राप्तियां
२४ वर्ष से ५४२/१ तापमात्रा
दिनांक दोहरा हो १७/११/१९
दिनांक १३/११/१९ को प्रेस हो।
दीनांक अवलम्बन देया गया हो।
11/11/19

13/11/2019 - शुक्रवार प्रक्रिया
विषयत हो। निम्नलिखित दो दिनांक प्राप्तियां
दोहरा दिनांक २७/११/१९ दिनांक
निम्नपाठ्यालय शुक्रवार आठवें दिन
दिनांक १९/११/२०१९ को प्रेस हो।
13/11/19

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-5/2016

(मूल सन्दर्भ वाद संख्या-137/70 सन् 1998)

अरुण कुमार आदि

बनाम उ०प्र०राज्य आदि

दिनांक 19.11.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा आवेदन 27ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि इजरा वाद हाजा के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रकीर्ण वाद संख्या-1548/74 सन् 2019 आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता दाखिल की है। अतः प्रकीर्ण वाद संख्या-1548/74 सन् 2019 आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता के निस्तारण होने तक इजरा वाद हाजा की कार्यवाही को रथगित करने हेतु आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

डिकीदार ने आवेदन 29ग2 के माध्यम से आपत्ति करते हुये कहा है कि प्रतिवादी/निर्णीत ऋणी संख्या-2 के द्वारा उपरोक्त मुकदमें प्रार्थनापत्र कागज संख्या-24ग प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के उपरान्त दिनांक 17.10.2019 को निरस्त किया जा चुका है। निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित आधार निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा उपरोक्त मुकदमें में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या-24ग में वर्णित आधार एक समान है। निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित आधार न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2019 को निर्णीत किये जाने के कारण निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सम्बन्धित प्रकीर्णवाद संख्या-1548/74 सन् 2019 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बनाम अरुण कुमार आदि में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा दाखिल आपेक्षन-उग अन्तर्गत धारा-47 सपष्टित धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता आधार पर्याप्त न होने के कारण निरस्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर दाखिल आवेदन 27ग2 स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार आवेदन 27ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 26.11.2019 को पेश हो। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं

विकास परिषद कल्यानपुर कानपुर नगर को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो नियत तिथि के पूर्व दाखिल करें अन्यथा डिक्टी धनराशि का भुगतान करें।

4/1/2019
२०/१/१९

(रमेश चन्द्र-प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एकट)
कानपुर नगर।

19/11/2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश / एस०सी०एस०टी०, कानपुर नगर।

इजरावाद संख्या-05/2016

अरुण कुमार..... बनाम..... उत्तर प्रदेश राज्य आदि।

दिनांक-26.11.2019

पुकार पर पक्षकार उपस्थित। निर्णीतक्रृणी नं०-२ उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवेदन सं० 31ग प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी को इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 19.11.19 के विरुद्ध रिवीजन दाखिल करके माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से इजरा की कार्यवाही के विरुद्ध रथगनादेश प्रप्त करके दाखिल करने हेतु समय देने की कृपा की जाये।

उपरोक्त आवेदन का विरोध करते हुये डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति 30ग दाखिल कर कहा गया है कि जब तक अधीक्षण अभियन्ता को तलब नहीं किया जायेगा तब तक डिकी धन जमा नहीं हो पायेगा। उनकी निगाह में न्यायालय उनका कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में निर्णीतक्रृणी नं०-२ के अधीक्षण अभियन्ता को तलब करने का आदेश पारित किया जाये।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निर्णीतक्रृणी नं०-२ द्वारा दाखिल आपत्ति अंतर्गत धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 19.11.19 को निरस्त किया गया है जिसके विरोध में रिवीजन दाखिल कर रथगनादेश दाखिल करने हेतु समय की याचना की गई है। न्यायहित में निर्णीतक्रृणी नं०-२ का आवेदन 31ग हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतक्रृणी नं०-२ का आवेदन 31ग अंकन 500/-रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वारते अग्रिम आदेश दिनांक 05.12.19 के पेश हो। निर्णीतक्रृणी नं०-२ को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का रथगनादेश हो तो दाखिल करे, अन्यथा डिकी की धनराशि का भुगतान करे।

26/11/2019
 (रमेश चन्द्र-प्रथम)
 विशेष न्यायाधीश / एस०सी०एस०टी०,
 कानपुर नगर।

26/11/19
 J.D No 2

निषादन वाद संख्या-5/2016दिनांक 07.12.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के विद्वान अधिवक्ता ने स्थगन आवेदन 34ग दाखिल करके निवेदन किया गया है कि आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता के निरस्त किये जाने के निर्णय दिनांक 19.11.2019 के विरुद्ध प्रार्थी को रिवीजन दाखिल करना है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से इजरा कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त करके अथवा रिव्यू आदेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पोर आपत्ति करते हुये कला गया है कि निर्णीतऋणी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अब रिकवरी कार्यवाही किया जाना उचित है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान इजरा वाद सन 2016 में दाखिल किया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2008 को निरस्त किया जा चुका है। इसके पूर्व से भी निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनेक स्थगन आवेदन देकर मामले को विलम्बित किया गया है तथा बार बार स्थगन आवेदन देकर निवेदन किया गया है कि स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक जाह का समय दिया जाय जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी द्वारा स्पष्ट रूप से मामले को विलम्बित किया जा रहा है। फिर भी न्यायहित में निर्णीतऋणी का स्थगन आवेदन स्वीकार करते हुये माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करने हेतु एक अन्तिम अवसर दिया जाना न्यायसंगत होगा।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का स्थगन आवेदन 34ग मु 500/-रूपये हर्ज पर रकीकार किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 16.12.2019 को पेश हो। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद कोई स्थगन आदेश हो तो नियत तिथि के पूर्व दाखिल करें अन्यथा डिकी धनराशि का भुगतान करें।

०७/१२/२०१९
(रमेश चन्द्र-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
कानपुर नगर।

७/१२/२०१९
फूल D 2

निष्पादन वाद संख्या-5/2016दिनांक 16.12.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिकीदार उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी उपस्थित नहीं है। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से आवेदन 33ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा न्यायालय में दाखिल आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रकीर्ण वाद संख्या-1548/74/2019 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद बनाम अर्लण कुमार आदि न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2019 निरस्त की गयी थी जिसके विरुद्ध प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करना है जिस हेतु प्रार्थी आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रकीर्ण वाद संख्या उपरोक्त में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करने हेतु फार्मर आर्डर की प्रमाणित प्रति दिनांक 03.12.2019 को प्राप्त हुयी है। नकलें प्राप्त होने के बाद परिषद मुख्यालय से अधिवक्ता नियोजित हो चुका है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है तथा माह दिसम्बर 2019 में आगे माननीय उच्च न्यायालय में अवकाश रहेंगे। अतएव नियोजित अधिवक्ता से रिवीजन तैयार व दाखिल कराकर रिवीजन में अथवा इजरा वाद के पक्षकारों के मध्य विचाराधीन रिव्यू में माननीय उच्च न्यायालय में इजरा वाद की कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु आज की तिथि स्थगित करके पर्याप्त समय देकर माह जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया है कि निर्णीतऋणी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी किया जाना आवश्यक है।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। निर्णीतऋणी की तरफ से प्रस्तुत आवेदन 33ग में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि निर्णीतऋणी को दिनांक 03.12.2019 को नकल प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका ऐसी स्थिति में आज की तिथि स्थगित करके जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि नियत की जाय परन्तु बार-बार पुकार करने पर भी आवेदन 33ग पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं आ रहा है जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी द्वारा वर्तमान इजरा को विलम्बित करने के आशय से आवेदन 33ग प्रस्तुत किया गया है। फिर भी न्यायहित में निर्णीतऋणी को एक अन्तिम अवसर दिया जाना न्यायसंगत है। मामले की परिस्थितियों में निर्णीतऋणी का स्थगन आवेदन 32ग स्वीकार हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का स्थगन आवेदन 33ग
 मु0 500/- रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पत्रावली दिनांक
 23.12.2019 को पेश हो। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को
 निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि के पूर्व डिकी धनराशि अदा करे अन्यथा माननीय
 उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल करे। निर्णीतऋणी
 संख्या-2 का अब कोई स्थगन आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

16/12/2019
 (रमेश चन्द्र-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
 कानपुर नगर।

04/01/2020

निष्पादन वाद संख्या-5/दिनांक 23.12.2019:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिकीदार एवं निर्णीत ऋणी उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से आवेदन 34ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा न्यायालय में दाखिल आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता में आपत्ति निरस्त के आदेश दिनांक 19.11.2019 के विरुद्ध प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करना है जिसके लिये फार्मल आर्डर एवं नकल प्राप्त होने के बाद अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है तथा मूल सन्दर्भ वाद के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपील के निरस्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध पक्षकारों के मध्य नानीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निरस्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध पक्षकारों के मध्य माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल व विचाराधीन है जिसमें भी रुनवाई होकर आदेश प्राप्त होना है परन्तु दिनांक 31.12.2019 तक माननीय उच्च न्यायालय में अवकाश है। अतएव उक्त आपत्ति धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता में पारित उक्त आदेश के विरुद्ध रिवीजन दाखिल कराकर रिवीजन में अथवा इजरा वाद के पक्षकारों के मध्य विचाराधीन उक्त रिव्यू में माननीय उच्च न्यायालय से इजरा वाद की कार्यवाही के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु आज की तिथि स्थगित करके पर्याप्त समय देकर माह जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया है कि निर्णीतऋणी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र निरस्त करवे निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी किया जाना आवश्यक है। डिकीदार की ओर शपथपत्र 36ग के माध्यम से विपक्षी का बैंक खाता प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया गय है कि निर्णीतऋणी का बैंक एकाउन्ट कुर्क करके डिकीदार का डिकीधन दिलाया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान इजरा वाद सन 2016 में दाखिल किया गया १ तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। इसके पूर्व भी निर्णीतऋणी द्वारा अनेक स्थगन आवेदन देकर मामले को विलम्बित किया गया है तथा बार-बार स्थगन प्रार्थनापत्र देक निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त कर दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जाय। दिनांक 16.12.2019 को निर्णीतऋणी द्वारा इसी आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकार करते हुये : आदेश पारित किया गया था कि नियत तिथि को निर्णीतऋणी डिकी धनराशि डिकीदार को ३

करे अन्यथा यदि माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल करे तथा यह भी आदेश पारित किया गया था कि निर्णीतऋणी संख्या-2 का अब कोई स्थगन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। परन्तु निर्णीतऋणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित कोई स्थगन आदेश दाखिल नहीं किया गया है एवं स्थगन प्रार्थनापत्र 34ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रियू दखिल व विचाराधीन है तथा निर्णीतऋणी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2019 की नकल प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है ऐसी स्थिति में आज की तिथि स्थगित करके जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि नियत की जाय। जिससे स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी द्वारा निष्पादन कार्यवाही को विलम्बित करने के लिये उपरोक्त स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। मामले की परिस्थितियों में निर्णीतऋणी का स्थगन आवेदन 34ग स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन 34ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन 34ग निरस्त किया जाता है। निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी हो। अमीन को परवाना जारी हो। पैरवी अन्दर तीन दिन की जाए। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 04.01.2020 को पेश हो।

23/12/2019
 (स्मरण चन्द-प्रथम)
 विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
 कानपुर नगर।

13/01/2020

निष्पादन वाद संख्या-5 /2016दिनांक 04.01.2020:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतक्रृति संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवेदन 37ग समर्थित शपथपत्र 38ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि इजरा उपरोक्त के मूल वाद में डिकीत भूमि का उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत प्रथम नोटिफिकेशन दिनांक 17.02.1973 व धारा-32 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 27.02.1980 को हुआ था परन्तु अर्जन से क्षुब्ध कुछ भू स्वामिया द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समुख याचिका संख्या-10965/1982 प्रस्तुत की गयी थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.1984 को खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप भूस्वामियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समुख एस0एल0पी0 संख्या-11697/1984 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें दिनांक 12.08.1993 को यह आदेश पारित किये गये थे कि भू-स्वामियों को धारा-6 की विज्ञप्ति के वर्ष 1980 में प्रचलित बाजारु मूल्य की दर से प्रतिकर का भुगतान किया जावे तथा धारा-4 जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-28 के सम्बन्ध में है तथा जिसका प्रकाशन दिनांक 17.02.1973 को हुआ था को कात्यनिक रूप से यह स्वीकार किया जावेगा कि उक्त का प्रकाशन वर्ष 1980 में धारा-6 की विज्ञप्ति की तिथि 27.02.1980 को हुआ है। न्यायालय ने इजरा उपरोक्त के मूल वाद में पारित निर्णय/डिकी दिनांकित 10.03.2016 को डिकीदारानों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांकित 12.08.1993 से आच्छादित एक अन्य भू सन्दर्भ वाद संख्या-162/70/1992 में माननीय अपर जिला जज, पंचम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय/डिकी दिनांकित 28.05.1998 के आधार पर वर्ष 1980 में प्रचलित रूपये 72.00 प्रति वर्गगज की दर से बाजारु मूल्य निर्धारित किया गया है परन्तु 12 प्रतिशत अतिरिक्त दिनांक 27.02.1980 के स्थान पर दिनांक 17.02.1973 से दिखाया गया है जो कि उक्त निर्णय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश व भूमि अध्यापि अधिनियम की धारा-23(1-ए) के विपरीत है। डिकीदारानों को सोलैशियम तथा अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशियों पर भी ब्याज दिलाया गया जो कि 162/70/1992 विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में पारित निर्णय/डिकी के विपरीत है। न्यायालय द्वारा इजरा उपरोक्त के मूल वाद में पारित निर्णय/डिकी दिनांकित 10.03.2016 के विरुद्ध विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील संख्या डी-220/2016 प्रस्तुत की थी जिसमें 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर को दिनांक 17.02.1973 के स्थान पर दिनांक 27.02.1980 से दिलाये जाने की माँग की गयी थी परन्तु विभाग की इस माँग पर माननीय न्यायालय का स्पष्टीकरण न आने के कारण रियू

पिटीशन दाखिल किया गया है जिसमें शीघ्र सुनवाई कराकर स्थगन आदेश प्राप्त करने का प्रयास विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री नवनीत सिंह त्रिपाठी, एडवोकेट द्वारा की जा रही है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है। न्यायालय के समुख भी इजरा के विरुद्ध आपत्ति अन्तर्गत धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत की गयी थी। जो प्रकीर्ण वाद संख्या-1548/74 सन् 2019 के नम्बर पर दर्ज होकर गुण व दोष के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2019 को खारिज की जा चुकी है जिसके विरुद्ध भी माननीय उच्च न्यायालय के समुख रिवीजन वाद प्रस्तुत करने हेतु विभाग के मुख्यालय लखनऊ से अपर आवास आयुक्त एवं सचिव माहेदय से अनुमति प्राप्त हो गयी है तथा रिवीजन दाखिल कराकर शीघ्र ही आदेश प्राप्त करने हेतु श्री नवनीत चन्द त्रिपाठी, एडवोकेट के माध्यम से प्रभावी पैरवी की जा रही है। डिकीधन जमा करने में हो रहे विलम्ब से डिकीदार को कोई वित्तीय क्षति नहीं हो रही है। चूंकि डिकीधन जमा करने की तिथि तक उसे 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की अदायगी प्रार्थी के विभाग को करना होगा। बाजारु मूल्य की धनराशि पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिनांक 27.02.1973 से दिये जाने पर प्रार्थी के विभाग को अपूर्णनीय आर्थिक क्षति होगी तथा जिसकी प्रतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं होगा एवं इसका प्रभाव अन्य लम्बित भू-सन्दर्भ वादों पर भी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इजरा उपरोक्त में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश वास्ते कुर्की दिनांकित 23.12.2019 को रिकाल/अपास्त करके माननीय उच्च न्यायालय के समुख लम्बित रियू पिटीशन/रिवीजन प्रस्तुत करते हुये स्थगन आदेश प्राप्त करके न्यायालय के समुख प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय दिये जाने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2019 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। निर्णीतऋणी का प्रार्थनापत्र खारिज करके रिकवरी वारण्ट जारी करने वी कृपा की जाय। पैरवी हो चुकी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान इजरा वाद सन् 2016 में दाखिल किया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जा चुका है। इसके पूर्व भी निर्णीतऋणी द्वारा अनेक स्थगन आवेदन देकर मामले को विलम्बित किया गया हैं तथा बार-बार स्थगन प्रार्थनापत्र देकर निवेदन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त करके दाखिल करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जाय। दिनांक 16.12.2019 को भी निर्णीतऋणी द्वारा इसी आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकार करते हुये यह आदेश पारित किया गया था कि नियत तिथि को निर्णीतऋणी डिकी धनराशि डिकीदार को अदा

करे अन्यथा यदि माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश हो तो उसे दाखिल करे तथा यह भी आदेश पारित किया गया था कि निर्णीतऋणी संख्या-2 का अब कोई स्थगन आवेदन स्वीकार नहीं होगा परन्तु निर्णीतऋणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित कोई स्थगन आदेश दाखिल नहीं किया गया है एवं दिनांक 23.12.2019 को पुनः निर्णीतऋणी द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र 34ग प्रस्तुत करके निवेदन किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिव्यू दाखिल विचाराधीन है तथा निर्णीतऋणी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2019 की नकल प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक रिवीजन दाखिल नहीं हो सका है ऐसी स्थिति में आज की तिथि स्थगित करके जनवरी 2020 के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि नियत की जाय। जिसे दिनांक 23.12.2019 को निरस्त करते हुये निर्णीतऋणी संख्या-2 के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी किया जा चुका है परन्तु निर्णीतऋणी संख्या-2 द्वारा आज भी डिकी धनराशि जमा न करके उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि आदेश दिनांक 23.12.2019 रिकाल/अपास्त करके स्थगन आदेश दाखिल करने हेतु एक माह का समय दिये जाने की कृपा की जाय। जिसे स्वीकार किये जाने जा कोई विधिक आधार नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 37ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी संख्या-2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत आवेदन 37ग निरस्त किया जाता है। निर्णीतऋणी के विरुद्ध रिकवरी वारण्ट जारी हो। अभीन को परवाना जारी हो। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 13.01.2020 को पेश हो।

(रमेश चन्द्र-प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एकट),
कानपुर नगर।

४-१-२०
आज १५ दिनांक दाने पैरवा
की गयी। आदेश हुआ की तात्पूर
प्रवाना जिपत निपत हेतु जारी हो।

कृपाकर्त्तव्य
13/01/2020 - गुरुवार ईश्वर उपस्थित है।
निर्णीतऋणी उपस्थित ने १३/०१/२०२०
द्वारा कोई आपा उसके तरह कृपाकर्त्तव्य ले इन्तजार
की वाला मानस जारी है जो १४/०१/२०२०
की पर्याप्त है।

13/01/2020

अधिकारी/उपाधिकारी
राज्यपाल
प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री

29/01/2020

कानूनी सेवा कानूनी सेवा
राज्य संघ राज्य संघ
सेवा सेवा

B.R. Jadhav
मास

ग्राम

04/02/2020
B.R. Jadhav
मास

18/01/2020 - कुमारपुर पक्षकार उभयित
 शिल्पी विभागीय द्वारा दिक्षिण
 द्विवारायी अद्यन्ती विधा गया है।
 आविक रूप से विभागीय विधायी
 विधान सभायोगता एवं राजनीति
 है। कहा गया था वे अधिकार
 अधिकारका विभागीय द्वारा
 मुख्यताव रैली ली गया था।
 अतएव विभागीय के अद्यश
 में उसे अक्षयत कराया जा सकता है।
 अभीनव ने आम्या दिल्ली के विशालाकार
 ए होते के कारण व्यापक का तात्परीला
 वही शोषका शुल्क व्युत्ति वाले
 जाएगी जो एवं अ-व्युत्ति व्युत्ति व्युत्ति व्युत्ति
 व्युत्ति व्युत्ति व्युत्ति व्युत्ति व्युत्ति 29/01/2020
 की दिन हो।

18/01/2020

23/20

ज्ञान विभागीय द्वारा निर्माण दिल्ली
 द्वारा दिल्ली द्वारा दिल्ली द्वारा
 दिल्ली द्वारा दिल्ली द्वारा

Smt. Judge Smt. -

29/20

अधिकारका नियम विभागीय
 विभागीय विभागीय विभागीय
 विभागीय विभागीय विभागीय
 विभागीय विभागीय विभागीय

Court of A.D.J./
 Special Judge S.C./S.T. etc
 Kanpur Nagar

संख्यांक - 5/63

निष्पादन वाद संख्या-5/2016

दिनांक 04.02.2020:-

पुकार पर डिकीदार उपस्थित है। निर्णीतकरणी उपस्थित नहीं है। अमीन द्वारा जारी वसूली वारण के सन्दर्भ में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही कोई समय की माँग की गयी है। अदालत अमीन को कारण बताओ नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 10.02.2020 को पेश हो।

विशेष न्यायधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट),
कानपुर नगर।

अमीन कालानगर
५/२/२०

वारणी पत्रावली
कालानगर नगरपाली
पत्रावली
१०/२/२०

संलग्न - 5/6

निषादन वाद संख्या-5 / 2016

दिनांक 10.02.2020:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिकीदार उपस्थित है। निर्णीतऋणी उपस्थित नहीं है। डिकीदार की तरफ से आवेदन 40ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय द्वारा रिकवरी वारण्ट ऋणी संख्या-2 अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, निर्माण खण्ड-17, कल्यानपुर कानपुर नगर पर निकाला गया था जिसमें अमीन द्वारा अपनी रिपोर्ट न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट में ऋणी संख्या-2, अधिशासी अभियन्ता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे जिसके कारण रिकवरी की कार्यवाही नहीं हो सकी है। ऋणी संख्या-2 सरकारी कार्यालय है और कर्मचारी है जिसके कारण रिकवरी की कार्यवाही करने में अमीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में डिकीदार द्वारा ऋणी के बैंक खाते का नम्बर, नाम व पता शपथपत्र दिनांकित 16.12.2019 कागज संख्या-36ग द्वारा दाखिल किया गया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में ऋणी का बैंक खाता जो शपथपत्र में दिये गये हैं को कुर्क करके डिकीधन मंगाया जाना आवश्यक है। अतः ऋणी के बैंक खाता, इजरा वाद में दिये गये धन रुपये 1,08,10,703/- को कुर्क करने की कृपा करें।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिकी धनराशि के भुगतान के लिये निर्णीतऋणी के विरुद्ध वसूली वारण्ट जारी किया गया था तथा न्यायालय अमीन को यह अवगत कराया गया कि अधीक्षण अभियन्ता डिफेन्स एक्सपो 2020 में डियूटी लगी होने के कारण लखनऊ गये हुये हैं। उनकी डियूटी से वापस होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी परन्तु आज तक निर्णीतऋणी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर डिकी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जानबूझकर न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डिकी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में डिकीदार का आवेदन 40ग स्वीकार किये जाने योग्य है तथा निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बचत खाता संख्या-273511100000195 एवं बचत खाता संख्या- 273511100000201 आन्द्रा बैंक केशवपुरम, कानपुर नगर अग्रिम आदेश तक कुर्क किया जाता है।

आदेश

डिकीदार का आवेदन 40ग स्वीकार किया जाता है। निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बचत खाता संख्या-273511100000195 एवं बचत खाता संख्या- 273511100000201 आन्द्रा बैंक केशवपुरम, कानपुर नगर अग्रिम आदेश तक कुर्क किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि न्यायालय के किसी सहजदृश्य भाग पर लगायी जाय तथा एक प्रतिलिपि निर्णीतऋणी को भेजी जाय। अनुपालन हेतु सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक को पत्र प्रेषित हो। वारते अग्रिम आदेश, पत्रावली दिनांक 18.02.2020 को पेश हो।

(संशेष चन्द्र-प्रथम)
10.02.2020

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

प्रमाणित
18-2-20
S/o.
Jewel
Ref: 17/2

24/02/2020

Sri Jagdeeswar
Ex-5716

18/02/2020 द्वारा प्राप्त जिम्मेवाले -
की संपत्ति करने वाली नहीं
की देखील का स्थगित प्राप्तवाप्ति
41 मे द्वारा काले अधिकार
अद्यता द्वारा 24/02/2020 की
की है।

18/02/2020

निष्पादन वाद संख्या-5 /2016दिनांक 24.02.2020:-

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिकीदार उपस्थित है। निर्णीतऋणी उपस्थित नहीं है। डिकीदार की तरफ से आवेदन 13ग एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का आदेश दिनांक 13.02.2020 प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बैंक खाता कुर्क करने के लिये बैंक खाता नम्बर दिये गये थे, उसमें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 लिखा गया है जिसके कारण बैंक में खाता सीज नहीं हो सके। आंधा बैंक के बैंक खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के नाम से संचालित किये जा रहे हैं, इसलिये बैंक खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के सील करने के लिये बैंक को पुनः पत्र भेजा जाना न्यायहित में आवश्यक है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता डिकी का भुगतान करने के लिये संस्तुति नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधीक्षण अभियन्ता को तलब करना भी न्यायहित में आवश्यक है। ऋणी के द्वारा दाखिल रिवीजन माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.02.2020 को खारिज कर दिया गया है। अतः बैंक खाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का कुर्क करने एवं अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-17 कानपुर को तलब करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्णीतऋणी का सिविल रिवीजन निरस्ता किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी हो। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 27.02.2020 को पेश हो।

24/02/2020
(रमेश चन्द्र-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

निष्पादन वाद संख्या-5 / 2016

दिनांक 27.02.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी ने आवेदन 45ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिकी धनराशि स्वीकृत करने हेतु समिति की बैठक आमंत्रित की गयी है, जिससे डिकीधन स्वीकृत होना है। डिकीधन स्वीकृत हो जाने के पश्चात् विभाग के मुख्यालय से डिकीधन अवमुक्त कराकर न्यायालय में जमा करने में 20 से 25 दिन का समय लग जायेगा। ऐसी स्थिति में इजरा वाद में पारित आदेश कुर्की को स्थगित करके डिकीधन जमा करने हेतु प्रार्थी/निर्णीतऋणी को 25 दिन का समय दिया जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुये कहा है कि निर्णीतऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान विलम्बित किया जा रहा है तथा डिकीदार की डिकी धनराशि जमा नहीं की जा रहा है, निर्णीतऋणी का आवेदन निरस्त किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है मात्र निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 45ग2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 45ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 03.03.2020 को पेश हो। नियत तिथि से पूर्व निर्णीतऋणी डिकी धनराशि अवश्य जमा करे।

27/02/2020
(रमेश चन्द्र-प्रथम)

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
कानपुर नगर।

निषादन वाद संख्या-5 /2016दिनांक 03.03.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित है। निर्णीतऋणी ने आवेदन 46ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिकी धनराशि जमा करने हेतु विभागीय कार्यवाही की जा रही है एवं अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ वृत्त कानपुर के कार्यालय द्वारा डिकीधन स्वीकृत हो चुका है तथा डिकीधन मुख्यालय लखनऊ से अवमुक्त करकार न्यायालय में जमा करने हेतु 20 दिन का समय प्रदान करते हुये कोई अन्य तिथि नियत करने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुये कहा है कि निर्णीतऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान विलम्बित किया जा रहा है तथा डिकीदार की डिकी धनराशि जमा नहीं किया जा रहा है। निर्णीतऋणी का आवेदन निरस्त किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है मात्र निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन मामले को विलम्बित करने के उददेश्य से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 46ग2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 46ग2 निरस्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 07.03.2020 को पेश हो। नियत तिथि से पूर्व निर्णीतऋणी डिकी धनराशि अवश्य जमा करे।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी10/एस0टी10 एक्ट),
कानपुर नगर।

03/03/2020

1

निष्पादन वाद संख्या-5 /2016

दिनांक 07.03.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी ने आवेदन 48ग2 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि डिकीध स्वीकृत हो चुका है। डिकीधन मुख्यालय लखनऊ से अवमुक्त किये जाने पर न्यायालय में जमा करने हेतु आज की तिथि स्थगित करके 10 दिन का समय प्रदान करने की कृपा की जाय।

डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुये कहा है कि निर्णीतऋणी द्वारा जानबूझकर भुगतान विलम्बित किया जा रहा है तथा डिकीदार की डिकी धनराशि जमा नहीं किया जा रहा है। निर्णीतऋणी का आवेदन निरस्त किया जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड 17 कल्यानपुर कानपुर नगर के अधीक्षण अभियन्ता को नोटिस जारी करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है मात्र निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की याचना की गयी है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आवेदन मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से दिया गया है जिसे स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। निर्णीतऋणी का आवेदन 48ग2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 48ग2 निरस्त किया जाता है। वस्ते अग्रिम आदेश पत्रावली दिनांक 16.03.2020 को पेश हो। नियत तिथि से पूर्व निर्णीतऋणी डिकी धनराशि अवश्य जमा करे।

17/03/2020
विशेष न्यायाधीश (एस0सी01/एस0टी0 एक्ट),
कानपुर नगर।

पंशुजा/अधिकारी/गठन व्यापिककार्य
से विरत है। पश्चालीबाटे जमिंग्रामों
हेतु अग्रिम 16/3/20 बाहरी।

Smt. Judge-S.C./S.T.
Kanpur Nagar

19/3/20
१३/२०
२०

~~संकलन~~ - 5/6

निष्पादन वाद संख्या-5/2016

दिनांक 17.03.2020:-

पत्रावली पेश हुई। कोरोना महामारी के कारण डिकीदार एवं निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं। वास्ते सुनवाई दिनांक 21.03.2020 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/१७/३) २०२०
कानपुर नगर।

दिनांक 21.03.2020:-

पुकार पर पक्षकार उपस्थित हैं। निर्णीतऋणी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि डिकी धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। निष्पादन वाद संख्या-4/2020 में ₹० 35,42,636/- रूपये ढी०डी० संख्या-208629 जमा किया जा चुका है। इस इजरा वाद में भी इसी माह के अन्त तक डिकी धनराशि जमा कर दी जायेगी। ऐसी स्थिति में डिकीधन जमा करने के लिये कम से कम 15 दिन का समय देने की कृपा की जाय। जिस पर डिकीदार के विद्वान अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं किया है। ऐसी स्थिति में निर्णीतऋणी को डिकी धनराशि जमा करने के लिये एक सप्ताह का अवसर दिया जाता है। वास्ते सुनवाई पत्रावली दिनांक 27.03.2020 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/१७/३) २०२०
कानपुर नगर।

~~27-३-२०~~
~~29-३-२०~~
~~3०-३-२०~~
~~2९-३-२०~~

 21९/१०

दोषित २०१९ के खातों
 नियमित वाद दस्तूर
 ०२-९-२०१९
 रु० १९५५ पैसों

SBL उपर्युक्तवादीगति—

17-४-२०

अर्ज १७५५ रु० पुर त्रिवादी विकार
 एकैव दोषित दोषित से विनाटल विवादालय
 के स्वाक्षर प्राप्तुता कुप्राप्त
 दोषित दुष्प्राप्ति के को. f

SBL उपर्युक्तवादीगति—

भीमरावी
 डॉ २०८८७० १५०११८२०
 भूतिकार्यालय
 वाल्य वाल्यालय
 रु० २९४६२८०=०० रु०
 रु० ५०५५ पैसों
 अर्ज १७५५ पैसों
 रु० १८८२०
 के खातों के १५५।